रजिस्टर्ड नं०-एडी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 16 अक्टूबर, 2021 ई० (आश्विन 24, 1943 शक संवत्) [संख्या 42

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	759–780	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1433–1456	1500 (भाग 1 से भाग 1–ख (2) तक)
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975 (भाग 6–(क) व (ख))
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975 (भाग 7–(क) से भाग 7–ख तक)
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	755–771	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

17 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 590/दो-4-2021-26/2(5)/2011–उप निबन्धक (एम0)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गयी एल0एल0एम0/पी0एच0डी0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनात स्थल	उप निबन्धक (एम0)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त-पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री–				
1	हेमन्त सिंह, सिविल जज (जू0डि0), बरेली	संख्या 9418/IV-5018/एडमिन(ए-1), दिनांक 09-08-2021	रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	एल0एल0एम0	2019
2	उत्कर्ष सिंह, एडिशनल सिविल जज (जू0डि0), मऊ	संख्या 9711/IV-5029/एडमिन(ए-1), दिनांक 17-08-2021	लखनऊ विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2018
3	धर्मेन्द्र कुमार यादव, एडिशनल सिविल जज (जू0डि0), बहराइच	संख्या 8498/IV-4576/एडमिन(ए-1), दिनांक 19-07-2021	लखनऊ विश्वविद्यालय	पी0एच0डी0	2019
4	सुरेन्द्र प्रसाद (मिश्रा), पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, झांसी सम्प्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच	संख्या 9969/IV-2480/एडमिन(ए-1), दिनांक 25-08-2021	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	1990
5	डा0 बब्बू सारंग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर (अकबरपुर)	संख्या 10190/IV-3521/एडमिन(ए-1), दिनांक 28-08-2021	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	एल0एल0एम0	2001
6	प्रदीप कुमार कुशवाहा, एडिशनल सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/ए0सी0जे0एम0, गौतमबुद्धनगर	संख्या 10157/IV-4265/एडमिन(ए-1), दिनांक 28-08-2021	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	एल0एल0एम0	2019

आज्ञा से,
घनश्याम मिश्र,
विशेष सचिव।

वित्त (लेखा परीक्षा) विभाग

अनुभाग-2

प्रोन्नति

13 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 11/2021/96943-10-26001(002)/1/2021-4—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति पर श्री राज्यपाल द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेविल-10, रू0 56,100 से 1,77,500 में नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुये अग्रिम आदेशों तक उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
		सर्वश्री—
1	231	आरिफ रजा फात्मी
2	286	चन्द्रपाल सिंह
3	324	उमेश चन्द्र
4	326	आमोद शंकर शुक्ल
5	333	पवन कुमार सिंह
6	335	अनिल कुमार श्रीवास्तव-II
7	336	अवनीश
8	337	राजेश कुमार शुक्ल
9	338	अजय कुमार
10	340	प्रमोद कुमार मिश्र
11	341	राम प्रकाश पाण्डेय
12	343	अरविन्द कुमार सिंघल

2—उक्त अधिकारियों को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3—उक्त पदोन्नत अधिकारी तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

4—उक्त अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

5—उक्त नव पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
संजय कुमार,
सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

30 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 17/2021-1716/छःपु0से0-1/2021–उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 11 रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत निम्नलिखित 19 अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2021 में की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 12 रु0 78,800-2,09,200) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
1	2	3	4
1	श्री रितेश कुमार सिंह	339	2004
2	श्री अनुराग सिंह	340	2004
3	श्री धनंजय सिंह कुशवाहा	342	2004
4	श्री ओमकार यादव	343	2004
5	श्रीमती स्नेह लता	345	2004
6	श्रीमती इन्दुप्रभा सिंह	346	2005
7	श्री सच्चिदानन्द	347	2005
8	श्री विनोद कुमार सिंह	348	2005
9	श्री राघवेन्द्र कुमार मिश्रा	349	2005
10	श्री अरुण चन्द	350	2005
11	श्री अजय कुमार	352	2005
12	श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव	353	2005
13	श्री जितेन्द्र सिंह	354	2005
14	श्री मनीष चन्द्र सोनकर	355	2005
15	श्री आलोक सिंह	356	2005
16	श्रीमती रजनी	357	2005
17	श्री अतुल कुमार सोनकर	358	2005
18	श्री हृदेश कठेरिया	360	2005
19	श्री मुकेश प्रताप सिंह	361	2005

2–उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3–उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 18/2021-1717/छःपु0से0-1/2021–उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 10 रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत निम्नलिखित 25 अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2021 में की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 11 रु0 67,700-2,08,700) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
1	2	3	4
1	श्री अभिषेक तिवारी	530	2013
2	श्री अभय नारायण राय	532	2013
3	श्री सतीश चन्द्र शुक्ला	536	2013
4	श्री वृज नारायण सिंह	537	2013
5	श्री अभिषेक प्रताप अजेय	555	2013
6	श्री रणविजय सिंह	591	2013
7	श्री गौरव कुमार त्रिपाठी	649	2014
8	श्री वरूण मिश्रा	651	2014
9	श्री अशोक कुमार सिंह	654	2014
10	श्री आशापाल सिंह	655	2014
11	श्री अंजनी कुमार चतुर्वेदी	656	2014
12	श्री प्रशान्त सिंह	658	2014
13	श्री प्रभात राय	660	2014
14	श्री वीरेन्द्र विक्रम	662	2014
15	श्री विनय कुमार द्विवेदी	664	2014
16	श्री रत्नेश सिंह	665	2014
17	श्री प्रवीण कुमार सिंह	668	2014
18	श्री प्रदीप कुमार यादव	670	2014
19	श्री योगेन्द्र कृष्ण नारायण	672	2014
20	श्री दिलीप कुमार सिंह	674	2014
21	श्री राजीव प्रताप सिंह	676	2014
22	श्री कुलदीप कुमार गुप्ता	678	2014
23	श्री श्रीयश त्रिपाठी	680	2014
24	श्री विनय चौहान	681	2014
25	श्री रवि कुमार सिंह	682	2014

2–उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3–उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 19/2021-1718/छःपु0से0-1/2021-पी0एफ0-15/2020—चयन वर्ष 2016-17 में अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रेड-पे 7,600 से अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी—दो ग्रेड-पे रु0 7,600 में प्रोन्नति के सम्बन्ध में बनायी गयी पात्रता सूची में श्री लाल साहब यादव का नाम पात्रता सूची के क्रमांक 24 पर शामिल किया गया था, परन्तु ब्राडशीट के वर्ष 2014-2015 की 08 महीने की वार्षिक प्रविष्टि को त्रुटिवश उत्कृष्ट के स्थान पर अतिउत्तम अंकित हो गया तथा वर्ष 2015-2016 की स्वमूल्यांकन आख्या दिनांक 22 जुलाई, 2016 को प्रतिवेदक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद भी, स्वीकर्ता अधिकारी से प्राप्त न होने से उसे ब्राडशीट पर सम्मिलित न करने के कारण वह 'उत्तम' श्रेणी में वर्गीकृत हुये थे। चूंकि 'अति उत्तम' श्रेणी के पर्याप्त संख्या में अधिकारी उपलब्ध थे, अतः चयन समिति द्वारा तद्समय श्री यादव की पदोन्नति की संस्तुति नहीं की गयी थी। श्री लाल साहब यादव को अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो ग्रेड-पे रु0 8,700 पर चयन वर्ष 2020-2021 में विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में दिनांक 12 नवम्बर, 2020 को वास्तविक रूप से प्रोन्नत किया गया है।

2—श्री लाल साहब द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो ग्रेड-पे रु0 8,700 का लाभ अपने कनिष्ठ की तिथि से प्रदान किये जाने के अनुरोध के क्रम में वर्ष 2016-2017 में अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी-दो ग्रेड-पे रु0 8,700 में विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में निर्गत प्रोन्नति/विज्ञप्ति आदेश दिनांक 31 मई, 2017 द्वारा 24 अधिकारियों की प्रोन्नति होने के फलस्वरूप इस वेतनमान में कोई पद रिक्त न होने तथा उस चयन में इनके आसन्न कनिष्ठ श्री लल्लन प्रसाद की प्रोन्नति होने के फलस्वरूप श्री लाल साहब यादव को उक्त ग्रेड-पे में दिनांक 31 मई, 2017 से नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने के लिये 01 अधिसंख्या पद सृजित किये जाने पर कार्मिक एवं वित्त विभाग के परामर्श से अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी-दो ग्रेड-पे रु0 8,700 में दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के पश्चात् 01 रिक्ति उपलब्ध होने के दृष्टिगत दिनांक 31 मई, 2017 से दिनांक 02 सितम्बर, 2020 (03 वर्ष, 03 माह, 02 दिन) तक 01 अधिसंख्या पद सृजित किये जाने पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुये शासनादेश संख्या 142/छःपु0से0-1/2021-पी0एफ0-15/2020, दिनांक 25 जनवरी, 2021 द्वारा उक्त अवधि के लिये पद सृजित किया गया है तथा नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3—विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2021 में सम्यक् विचारोपरान्त श्री लाल साहब यादव (ज्येष्ठता क्रमांक 280) को अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 13, रु0 1,23,100-2,15,900) में उनके आसन्न कनिष्ठ श्री लल्लन प्रसाद (ज्येष्ठता क्रमांक 281) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 31 मई, 2017 से दिनांक 11 नवम्बर, 2020 की अवधि तक नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4—अतः विभागीय चयन समिति की उक्त बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री लाल साहब यादव (ज्येष्ठता क्रमांक 280) को अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 13, रु0 1,23,100-2,15,900) में उनके आसन्न कनिष्ठ श्री लल्लन प्रसाद (ज्येष्ठता क्रमांक 281) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 31 मई, 2017 से दिनांक 11 नवम्बर, 2020 की अवधि तक नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 20/2021-1719/छःपु0से0-1/2021—चयन वर्ष 2020-2021 में प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 13, रु0 1,23,100-2,15,900) में उपलब्ध/सम्भावित रिक्तियों पर चयन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में तद्समय पात्रता सूची में श्री अनिल कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक 175) का नाम क्रमांक 20 पर सम्मिलित था, किन्तु श्री अनिल कुमार के विरुद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही के कारण समिति द्वारा तद्समय सम्यक् विचारोपरान्त श्री अनिल कुमार का चयन 01 पद सुरक्षित करते हुये 'आस्थगित' रखे जाने की संस्तुति की गयी थी।

2—श्री अनिल कुमार के विरुद्ध प्रचलित प्रकरण कार्यालय आदेश संख्या 1059/छःपु0से0-1-2021-पी0एफ0-29/2020, दिनांक 16 अगस्त, 2021 द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने के लिये गये निर्णय के क्रम में श्री अनिल कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो ग्रेड पे रु0 8,700 में उनके आसन्न कनिष्ठ को उक्त

वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि से नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न बैठक में चयन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री अनिल कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड-पे रु0 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 13, रु0 1,23,100-2,15,900) में उनके आसन्न कनिष्ठ श्री कमलेश बहादुर (ज्येष्ठता क्रमांक 176) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 13 नवम्बर, 2020 से नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी।

3—अतः विभागीय चयन समिति की उक्त बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री अनिल कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 13, रु0 1,23,100-2,15,900) में उनके आसन्न कनिष्ठ श्री कमलेश बहादुर (ज्येष्ठता क्रमांक 176) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 13 नवम्बर, 2020 से नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुभाग-2

पदोन्नति

30 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 1227/छ:पु0से0-2-21-522(98)/2020—भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के अधिकारी श्री विजय कुमार मौर्य, आईपीएस-आरआर-1990 को दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पुलिस महानिदेशक के पद पर (वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल 16, रु0 2,05,400-2,24,400) में पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री विजय कुमार मौर्य, आईपीएस-आरआर-1990 की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-3

प्रोन्नति/तैनाती

06 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 1016/11-3-2021-55/07—राज्य कर विभाग के निम्नलिखित अपर सांख्यिकीय अधिकारी, वाणिज्य कर को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सांख्यिकीय अधिकारी, वाणिज्य कर के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 में उनके नाम के सम्मुख अंकित चयन वर्ष के सापेक्ष प्रोन्नति प्रदान करते हुये जनपद वाराणसी द्वितीय में तैनात किये जाने की राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम	चयन वर्ष
1	75	श्री दुर्गा प्रसाद	2020-21

2—उक्त अधिकारी को प्रोन्नति के फलस्वरूप 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

आज्ञा से,
सर्वज्ञ राम मिश्र,
विशेष सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-3

कार्यालय-ज्ञाप

19 अगस्त, 2021 ई0

सं0 79/2021/3045/23-3-2021-22ई0एस0/2020 टीसी—उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री प्रेम प्रकाश को अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर उनके कनिष्ठ श्री ज्ञान गुप्ता की अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 02 नवम्बर, 2020 से नोशनल प्रोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक/नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री प्रेम प्रकाश, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

31 अगस्त, 2021 ई0

सं0 80/2021/3116/23-3-2021-14ई0एस0/2021—उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0) के पद पर कार्यरत श्री अभय कुमार गुप्ता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री अभय कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

अनुभाग-1

नामकरण

03 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 सा0-1765/23-1-2021-171सा0/19टीसी—जनपद मेरठ में मेरठ दिल्ली मार्ग पर मेरठ-हापुड़ रेल मार्ग के सम्पार संख्या-55/ई-3 (मेवला फाटक) पर 04 लेन उपरिगामी सेतु का नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 281/सेतु नामकरण/सेतु-3/2021, दिनांक 16 अगस्त, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :

क्र0	जनपद	वर्तमान में सेतु	नामकरण
1	2	3	4
1	मेरठ	मेरठ दिल्ली मार्ग पर मेरठ-हापुड़ रेल मार्ग के सम्पार संख्या-55/ई-3 (मेवला फाटक) पर 04 लेन उपरिगामी सेतु	''अतुल माहेश्वरी उपरिगामी सेतु''।

06 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 सा0-1846/23-1-2021-242सा/21—जनपद सुल्तानपुर के 03 सेतुओं का नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 280/सेतु-नामकरण/सेतु-3/2021, दिनांक 02 अगस्त, 2021 एवं पत्र संख्या 165/सेतु-नामकरण/सेतु-3/2021, दिनांक 09 जुलाई, 2021

द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :

क्र0	परियोजना/सेतु का नाम	नामकरण
1	2	3
1	जनपद सुल्तानपुर में कोइरीपुर-मल्हीपुर-छतौना-करौंदीकला मार्ग पर गोमती नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग व अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण	''निषादराज सेतु''।
2	जनपद सुल्तानपुर में सूरापुर-विजेधुआ-गुदरा-कोइरीपुर मार्ग पर गोमती नदी पर दीर्घ सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण	''श्री महावीरन सेतु''।
3	जनपद सुल्तानपुर में कामतागंज-बभनगंवा-अयूबपुर मार्ग पर नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग व अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण	''श्री राम कारसेवक सेतु''।

16 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 196/2021/सा0-1766/23-1-2021-03सा/21 टीसी-2—विभिन्न जनपदों के सेतुओं/मार्गों के नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 282/सेतु नामकरण/सेतु-3/2021, दिनांक 16 अगस्त, 2021 तथा प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 847/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/21, दिनांक 13 अगस्त, 2021 एवं पत्र संख्या 837/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/21, दिनांक 06 अगस्त, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार नामकरण की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :

क्र0	जनपद	परियोजना/सेतु का नाम	नामकरण
1	2	3	4
1	बरेली	दिल्ली लखनऊ मार्ग पर चौपला चौराहे पर तीन लेन रेल उपरिगामी सेतु एवं बरेली-बदायूं मार्ग एस0एच0-33 एवं पुराना बस स्टैण्ड साइड में 02 लेन उपरिगामी सेतु	''अटल बिहारी बाजपेयी उपरिगामी सेतु''।
2	प्रयागराज	ग्राम कनेहटी रेलवे फाटक से तारडीह (फतेहगंज) सम्पर्क मार्ग	''शहीद रमाकान्त यादव मार्ग''।
3	मुरादाबाद	मुरादाबाद फर्रूखाबाद मार्ग से रहौली होकर चितौरा मार्ग (ग्रामीण मार्ग) लम्बाई 6.50 कि0मी0	''शहीद प्रदीप कुमार मार्ग''।

आज्ञा से,
गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव।

अनुभाग-8

प्रोन्नति

17 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 8/2021/1791/23-8-2021-34 (पी0डब्ल्यू0) अधि0/18 टी0सी0—श्री अनिल कुमार, सहायक अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक) (ज्येष्ठता क्रमांक 408) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0) के पद पर वेतन बैण्ड 3 रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) में मौलिक रूप से प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री अनिल कुमार द्वारा वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया जायेगा तथा उनकी तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अच्युतानन्द,
अनु सचिव।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

26 अगस्त, 2021 ई0

सं0 R 537/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री राहुल पाण्डेय पुत्र श्री बद्री प्रसाद पाण्डेय को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद महोबा में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 538/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री अंजलि भारतीया पुत्री श्री बृजेश कुमार को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान

रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद अम्बेडकरनगर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 539/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री दीपक कुमार पुत्र श्री रमाशंकर विरोदय को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद अलीगढ़ में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 540/38-1-2021-3518/2021–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री प्रांजिल अरविन्द पुत्र श्री डी0के0 अरविन्द को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद सम्भल में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 541/38-1-2021-3518/2021–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री अजीत सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद सम्भल में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह

समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 542/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री विवेक सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रू0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद सहारनपुर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 543/38-1-2021-3518/2021–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री अभिनव सरोज पुत्र श्री शम्भूनाथ सरोज को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद उन्नाव में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 544/38-1-2021-3518/2021–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री नीरू मलिक पुत्री श्री वीरपाल मलिक को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद सहारनपुर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 545/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री दीपिका गुप्ता पुत्री श्री शंकर लाल को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद सुल्तानपुर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 546/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री स्मृति सिंह पुत्री श्री महेन्द्र प्रताप चौहान को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद बदायूं में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह

समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 547/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री विकास कुमार सिंह पुत्र श्री कृष्ण प्रताप सिंह को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद सीतापुर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 548/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री अतुल कुमार सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद बरेली में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 549/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री रूपेश कुमार मंडल पुत्र श्री चुनचुन मण्डल को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद अलीगढ़ में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 550/38-1-2021-3518/2021–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री सिद्धार्थ मिश्रा पुत्र श्री राम सुशील मिश्रा को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद फिरोजाबाद में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 551/38-1-2021-3518/2021–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री वर्षा बंग पुत्री श्री श्याम सुन्दर बंग को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद बस्ती में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह

समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 552/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री सौम्या आलोक पुत्री श्री अजय कुमार को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद महोबा में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 553/38-1-2021-3518/2019–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री अबरार आलम पुत्र श्री अब्दुल शकूर को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद इटावा में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

14 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 R 568/38-1-2021-3518/2021–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री ज्योत्सना पुत्री श्री क्षितिश कुमार तिवारी को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद कानपुर नगर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 569/38-1-2021-3518/2021–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री गौरव पुरोहित पुत्र श्री बलवन्त सिंह को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद श्रावस्ती में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 570/38-1-2021-3518/2021–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री सुष्मिता यादव पुत्री श्री के0पी0 यादव को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद आगरा में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 571/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री सत्यकाम तोमर पुत्र श्री सुकर्मपाल सिंह तोमर को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद गोरखपुर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0—29 हिन्दी गजट—भाग 1—2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-एडी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 16 अक्टूबर, 2021 ई० (आश्विन 24, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ESTABLISHMENT SECTION]

NOTIFICATION

May 18, 2021

No. 23–From the date of taking over charge, Sri Syed Salman Mansur (Emp. No. 1030), Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Registrar-cum-Principal Private Secretary, in the pay scale of Level-13A, as per 7th Pay Commission, in the vacancy occurred due to appointment of Sri Sheel Nidhi Tiwari on the *ex-cadre* post of PPS (Administration), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 24–From the date of taking over charge, Sri Ram Asrey Morya (Emp. No. 1459), Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Private Secretary, Grade-IV, in the pay scale of Level-13, as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Syed Salman Mansur.

No. 25–From the date of taking over charge, Sri Ashutosh Kumar Shukla (Emp. No. 2930), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Private Secretary, Grade-III, in the pay scale of Level-12, as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Ram Asrey Morya.

No. 26–From the date of taking over charge, Sri Bhaskar (Emp. No. 3520), Private Secretary Grade-I, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary, Grade-II, in the pay scale of Level-11, as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Ashutosh Kumar Shukla.

No. 27–From the date of taking over charge, Sri Nitin Kumar Verma (Emp. No. 3690), Additional Private Secretary, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Private Secretary, Grade-I, in the pay scale of Level-10, as per 7th Pay Commission, in the consequential vacancy to be occurred due to promotion of Sri Bhaskar.

(The promoted officer/Junior most officer shall be repatriated to his parent post in his respective parent cadre in case any officer holding ex-cadre post repatriates to his parent cadre post and the promotions shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

May 22, 2021

No. 28–The following Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, provisionally promoted as Registrar subject to clearing of interview as per Rule 20(f) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, have fulfilled the condition of their promotion and are promoted as Registrar from the date they took charge on the post upon provisional promotion :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	3161	Rakesh Kumar-II
2	2688	Uttam Kumar Srivastava, *Lko.*
3	3185	Rajendra Kumar Chaddha
4	3187	Mani Shekhar
5	3182	Vinod Kumar-IV
6	3140	Ram Prasad
7	2691	Srish Kumar, *Lko.*
8	3208	Satyendra Mishra
9	3219	Sunil Kumar-II

No. 29–The following Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, provisionally promoted as Deputy Registrar subject to clearing of interview as per Rule 20(c) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, have fulfilled the condition of their promotion and are promoted as Deputy Registrar from the date they took charge on the post upon provisional promotion :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	2640	Pankaj Kumar Rastogi, *Lko.*
2	2709	Vinod Kumar Gupta, *Lko.*
3	3461	Mohd. Aziz Ullah

1	2	3
		(S/Sri)–
4	3439	Jitendra Kumar Gupta
5	3403	Jiwa Nand Singh
6	3405	Sheo Balak Kushwaha
7	3408	Santosh Kumar Srivastava
8	3409	Pramod Kumar
9	3410	Shri Ram Vishwakarma
10	2729	Rajesh Kumar Verma, *Lko.*
11	2764	Sudhir Singh, *Lko.*
12	3418	Permanand Misra
13	3420	Parimal Chaturvedi
14	3424	Ram Rakhan Singh
15	3428	Ravi Prakash Srivastava
16	2730	Ashok Kumar Yadav, *Lko.*
17	3386	Vijaya Bahadur Yadava
18	3431	Late Rajesh Kumar Pal
19	2734	Jai Kishan Soni
20	3433	John Caeser
21	3445	Rajesh Kumar Gupta
22	3480	Late Raj Kumar Kushwaha
23	3473	Devesh
24	3474	Arvind Kumar Verma
25	4011	Shyam Behari
26	4005	Rakesh Kumar Srivas
27	4064	Prabhat Kumar
28	2651	Dinesh Kumar Srivastava, *Lko.*
29	2654	Arvind Kumar Srivastava, *Lko.*
30	4036	Rajesh Kumar Pandey
31	4056	Ashok Kumar-III
32	4025	Indra Kant Shukla
33	2638	Anand Kumar Pandey, *Lko.*

No. 30–The following Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, provisionally promoted as Assistant Registrar subject to clearing of interview as per Rule 20(a) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, have fulfilled the condition of their promotion and are promoted as Assistant Registrar from the date they took charge on the post upon provisional promotion :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri/Km./Smt.)–
1	4805	Rajiv Mohan Rastogi, *Lko.*
2	6060	Vidya Kant
3	4708	Vipin Kumar
4	6062	Shabina Farooq
5	6063	Sarvesh Kumar Singh
6	2650	Kanchan Dixit, *Lko.*
7	2202	Anita Bose
8	2909	Manvendra Pratap Singh, *Lko.*
9	6065	Ashok Kumar Srivastava
10	6068	Bhagwati Prasad Pant
11	6066	Niranjan Singh
12	6067	Dharmendra Kumar Srivastava
13	6578	Saghir Ahmad, *Lko.*
14	6071	Abrarul Haq
15	6074	Vijay Kumar
16	6073	Ajeet Kumar Srivastava
17	6075	Ravindra Kumar Upadhyay
18	6076	Sudhir Kumar
19	2913	Pankaj Misra, *Lko.*
20	6087	Vinay Kumar Singh
21	6093	Shyam Chandra
22	6084	Ram Kumar Shukla, *Lko.*
23	6088	Bhaskar Chakravorty
24	6090	Ajay Singh
25	6091	Jitendra Kumar

1	2	3
		(S/Sri/Km./Smt.)–
26	6085	Kailash Nath Pandey
27	6089	Gyan Singh
28	6095	Rajesh Dubey, *Lko.*
29	6092	Vijay Kumar Singh Rathour
30	6097	Ravi Bhusan Tiwari
31	6098	Meera Srivastava
32	2916	Sudhir Kumar Saini, *Lko.*
33	2917	Naghma Rizvi, *Lko.*
34	4706	Anil Kumar Kushwaha
35	4608	Ram Naresh Maurya
36	4434	Jitendra Pandey
37	7000	Arvind Kumar Kushwaha
38	4034	Manoj Kumar

No. 31–Sri Bishnu Kumar Ghosh (Emp. No. 6086), Assistant Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, who has been provisionally promoted as Assistant Registrar subject to clearing of interview as per Rule 20(a) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, is hereby reverted to the post of Section Officer since he has not cleared the interview conducted on 08-04-2021. His name is placed above the name of Smt. Alka Singh (Emp. No. 4015) in the Section Officer cadre.

By order of the
Hon'ble Court,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

May 31, 2021

No. 32–Sri Raja Ram (Emp. No. 7005), Section Officer, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is promoted as Assistant Registrar notionally *w.e.f.* 22-05-2021, in the vacancy occurred due to reversion of Sri Bishnu Kumar Ghosh (Emp. No. 6086) from the post of Assistant Registrar to the post of Section Officer *vide* Notification no. 31, dated 22-05-2021. He will not be entitled for any arrears of pay as Assistant Registrar for the period of notional promotion preceding the date of actual promotion. In view of prevailing transfer policy, he will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad as Assistant Registrar.

By order of
Hon'ble The Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

June 01, 2021

No. 33–From the date of taking over charge, following Joint Registrars, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Registrar, in the pay scale Level-13A :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	2699	Ramesh Chandra Gupta, *Lko.*
2	2705	Subedar Singh, *Lko.*

1	2	3
		(S/Sri)–
3	3243	Anoop Kumar Rai
4	2634	Haider Husain Shabi, *Lko.*

No. 34–From the date of taking over charge, following Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad are hereby provisionally promoted as Joint Registrar, in the pay scale Level-13, subject to clearing of interview as per Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	3337	Sharad Chandra Upadhyay
2	3341	Raj Kumar Pandey
3	3350	Rajesh Kumar Chaurasiya
4	3447	Khursheed Ahmad

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term ''successful training'' shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.).

No. 35–From the date of taking over charge, following Assistant Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Deputy Registrar, in the pay scale Level-12 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		S/Sri–
1	2660	Rajneesh Kumar Singh, *Lko.*
2	4024	Ram Narayan
3	4030	Ajai Kumar Dwivedi
4	4044	Ashok Kumar Singh Yadav
5	4071	Ganga Sagar Tripathi
6	2742	Ramesh Chandra, *Lko.*

No. 36–From the date of taking over charge, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad, and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Assistant Registrar, in the pay scale Level-11 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		S/Sri–
1	7003	Pankaj Kushwaha
2	7004	Shiv Murti
3	7006	Aftab Alam, *Lko.*
4	7009	Shyamji Jaiswal
5	7008	Kapur Chand
6	2919	Harish Kant, *Lko.*
7	2920	Rajendra Prasad, *Lko.*
8	7007	Km. Pratima Sonkar

No. 37–From the date of taking over charge, following Review Officers, High Court of Judicature at Allahabad, and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Section Officer, in the pay scale Level-10 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		S/Sri/Ms.–
1	7410	Satyapal Yadav, *Lko.*
2	7411	Mohd. Shareef, *Lko.*
3	7412	Sudhir Tiwari
4	7414	Sushil Kumar Pathak
5	7416	Priyanka Sharma
6	7419	Lajja Shukla, *Lko.*
7	7420	Dharmendra Kumar
8	7421	Abhishek Srivastava
9	7422	Rajneesh Kumar, *Lko.*

(All the promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

(In view of prevailing transfer policy, Smt. Rajeshwari Manorama (Emp. No. 3320), Joint Registrar, posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad; S/Sri Prabhat Kumar (Emp. No. 4064), Rajesh

Kuman Pandey (Emp. No. 4036), Ashok Kumar-III (Emp. No. 4056) and Indra Kant Shukla (Emp. No. 4025), all Deputy Registrar posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad; Smt. Naghma Rizvi (Emp. No. 2917) and Sri Raja Ram (Emp. No. 7005), both Assistant Registrar posted at Lucknow bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court; S/Sri Mohd. Adil Hameed (Emp. No. 7281), Arvind Kumar Shashank (Emp. No. 7285), Dileep Kumar Rao (Emp. No. 7310) and Km. Archana Singh (Emp. No. 7289), all posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicautre at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court, Further, Sri Haider Husain Shabi (Emp. No. 2634), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Registrar; S/Sri Sharad Chandra Upadhyay (Emp. No. 3337), Raj Kumar Pandey (Emp. No. 3341), Rajesh Kumar Chaurasiya (Emp. No. 3350) and Khursheed Ahmad (Emp. No. 3447), all posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar; S/Sri Ashok Kumar Singh Yadav (Emp. No. 4044) and Ganga Sagar Tripathi (Emp. No. 4071), both posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw Salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Deputy Registrar, S/Sri Aftab Alam (Emp. No. 7006), Harish Kant (Emp. No. 2919) and Rajendra Prasad (Emp. No. 2920), all posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Assistant Registrar; S/Sri Satyapal Yadav (Emp. No. 7410), Mohd. Shareef (Emp. No. 7411), Ms. Lajja Shukla (Emp. No. 7419) and Rajneesh Kumar (Emp. No. 7422), all posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Section Officer).

June 08, 2021

No. 38–From the date of taking over charge, Sri Hemant Ranjan (Emp. No. 2928), Assistant Registrar-cum-Private Secretary, Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Private Secretary, Grade-III, in the pay scale of Level-12 as per 7th Pay Commission, in the vacancy occurred due to demise of Late Shailendra Kumar Srivastava.

No. 39–From the date of taking over charge, Sri Anurag Verma (Emp. No. 7108), Private Secretary, Grade-I, High Court of Judicature at Allahabad Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary, Grade-II, in the pay scale of Level-11 as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Hemant Ranjan.

No. 40–From the date of taking over charge, Sri Rishabh Kumar (Emp. No. 3684), Additional Private Secretary, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Private Secretary, Grade-I, in the pay scale of Level-10 as per 7th Pay Commission, in the consequential vacancy to be occurred due to promotion of Sri Anurag Verma.

(The promoted officer/Junior most officer shall be repatriated to his parent post in his respective parent cadre in case any officer holding ex-cadre post repatriate to his parent cadre post and the promotions shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before this Court of Lucknow Bench of this Court).

By order of
The Hon'ble Court,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

July 14, 2021

No. 41–Under the orders of Hon'ble the Acting Chief Justice, dated 13-07-2021, following Section Officers, High Court, Allahabad/Lucknow Bench are hereby confirmed on their post from the date mentioned against their names:–

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of confirmation
1	2	3	4
		S/Sri–	
1	4092	Asharfi Lal Maurya	14-12-2018
2	7074	Raj Kumar Mishra	14-12-2018
3	7027	Subhash Chandra Kushwaha	14-12-2018
4	7124	Indra Shekhar Prasad	30-04-2019
5	7128	Susheel Kumar	01-05-2019
6	4610	Smt. Manju Rani	30-04-2019
7	5013	Ramashray Tiwari	12-04-2020
8	7139	Km. Neelam Singh	30-04-2019
9	7150	Manoj Kumar Bhatt	30-04-2019
10	5109	Suraj Deen	30-04-2019
11	5626	Pushpraj Misra	30-04-2019
12	5696	Ashok Kumar-II	30-04-2019
13	5539	Manoj Kumar Pandey	30-04-2019
14	7152	Smt. Anju Pandey	01-05-2019
15	5824	Smt. Sushma Singh	28-05-2019
16	7155	Smt. Abha Khare	28-05-2019
17	7156	Bikash Tanu Goswami	28-05-2019
18	7158	Barmeshwar Pandey	28-05-2019
19	7160	Anand Pal Singh	28-05-2019
20	7161	Ajeet Kumar Srivastava	28-05-2019
21	5900	Santosh Kumar Tiwari	28-05-2019
22	7163	Abhishek	28-05-2019
23	7157	Sandeep Kumar Ojha	28-05-2019
24	7166	Indra Deo	28-05-2019
25	4022	Chandra Prakash Ojha	21-09-2019
26	7091	Abhishek Ranjan	24-09-2019

1	2	3	4
		S/Sri–	
27	7170	Smt. Anju Chaman	24-09-2019
28	7174	Shiva Nand Singh	24-09-2019
29	5697	Hariday Shanker	20-09-2019
30	5533	Ajay Kumar-I	21-09-2019
31	5521	Dharam Raj Singh	20-09-2019
32	5121	Pawan Kumar Yadav	11-10-2019
33	5718	Lok Nath Singh	22-10-2019
34	7179	Smt. Chhavi Malaviya	01-12-2019
35	7313	Anang Kumar	14-02-2020
36	7314	Rahul Khare, *Lko.*	14-02-2020
37	7186	Santosh Kumar Gupta, *Lko.*	14-02-2020
38	7316	Ravi Bhushan	14-02-2020
39	7317	Mohit Kumar Srivastava, *Lko.*	14-02-2020
40	7188	Sharad Prakash Tiwari	14-02-2020
41	7189	Vikash Yogeshwar	14-02-2020
42	7192	Manoj Kumar	14-02-2020
43	7193	Sameer Jaiswal	14-02-2020
44	7315	Satya Prakash	14-02-2020
45	7214	Sunil Kumar	28-09-2020
46	7221	Alok Kumar Singh	28-09-2020
47	7259	Harimendra Kumar	01-10-2020
48	7261	Smt. Manorama Singh	01-10-2020
49	7266	Umar Hameed	11-11-2020
50	7268	Ravindra Kumar Maurya	11-11-2020
51	7279	Abhishek Jaiswal	13-11-2020
52	7288	Dwarika Prasad	05-12-2020
53	7325	Shivanand Mishra	05-12-2020
54	7318	Smt. Pooja Gandhi	18-12-2020

Above confirmation shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court.

No. 42–Under the orders of Hon'ble the Acting Chief Justice, dated 13-07-2021, following Review Officers (Hindi), High Court, Allahabad/Lucknow Bench are hereby confirmed on their post from the date mentioned against their names:–

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of confirmation
1	2	3	4
		S/Sri–	
1	7676	Karan Bharadwaj	15-02-2015
2	7673	Ashutosh Singh Bhadauria	18-09-2019
3	7679	Deepak Kumar Rana	18-12-2019
4	7667	Sunil Kumar Kushwaha	18-12-2019
5	7670	Km. Ekta Agrawal	18-12-2019
6	7669	Rajesh Tiwari, *Lko.*	18-12-2019
7	7671	Ajeet Singh	13-07-2021
8	7678	Rajendra Kumar Kanaujiaya	13-07-2021
9	7668	Rajni Kant Verma	13-07-2021

Above confirmation shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court.

No. 43–Under the orders of Hon'ble the Acting Chief Justice, dated 13-07-2021, Sri Dheeraj Kumar Srivastava (Emp. No. 7413), Review Officers is hereby deemed confirmed on the post of Review officer with effect from 23-12-2015, the date his Junior was confirmed on the post of Review Officer.

By order of
Hon'ble the Acting Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
I/c. Registrar General.

July 16, 2021

No. 44–In view of demise of Sri Hem Singh (Emp. No. 3231), who was promoted as Joint Registrar Subject to acquiring necessary training, as per Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, within a period of one year from the date of his promotion, the condition of his promotion to the post of Joint Registrar is relaxed.

No. 45–In view of demise of Sri Vindhyesh Pandey (Emp. No. 3286), who was Provisionally promoted as Joint Registrar Subject to clearing of training and interview as per Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the conditions of his provisional promotion to the post of Joint Registrar are relaxed.

July 29, 2021

No. 46–Sri Om Krishna Choudhary (Emp. No. 1509), holding the *Ex-Cadre* post of Joint Registrar-cum-Joint Principal Private Secretary in the Secretariat of Hon'ble the Chief Justice, is hereby repatriated to

his original post and pay scale of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, Upon repatriation, his name is placed below the name of Sri Vinod Kumar Upadhya (Emp. No. 1055) and above the name of Sri Naseem Uddin (Emp. No. 1511), in the Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III Cadre, *i.e.* at his original seniority.

July 30, 2021

No. 47–Sri Brijesh Kumar (Emp. No. 1015), holding the cadre post of Registrar-cum-Principal Private Secretary at High Court, Allahabad, is hereby appointed on the ex-cadre post of Chief Private Secretary in the Pay matrix of Level 13-A, as per Seventh Pay Commission (PB-4, Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pay Rs. 8,900 as per Sixth Pay Commission) in the Secretariat of Chief Justice at Allahabad. He shall assume the post of Chief Private Secretary, *w.e.f.* 01-08-2021.

By order of
The Hon'ble Court,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

[ACCOUNTS (C-3) SECTION]

NOTIFICATION

August 05, 2021

No. 48–The following Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III are hereby granted the benefits of Third Financial Upgradation under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Third Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against their names in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008, dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Grant of Third Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	2	3	4
		S/Sri–	
1	1507	Ram Naresh Banswar, *Lko.*	08-05-2021
2	1508	Surender Singh Narang.	23-06-2021

No. 49–The following Senior System Analyst is hereby granted the benefits of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Second Finanecial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his names in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008, dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Grant of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	2	3	4
1	2002	Sri Gyanu Ji Srivastava	14-05-2021

No. 50–The following Private Secretary Grade-I is hereby granted the benefits of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before

the date of admissibility of said Second Financial Upgradation w.e.f. the date mentioned against his names in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008, dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Grant of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	2	3	4
1	3534	Sri Ram Murti Yadav	01-06-2021

No. 51–The following Section Officer (Died) is hereby granted the benefits of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Second Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his names in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008, dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Grant of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	2	3	4
1	3404	Sri Shyam Lal (Died)	13-12-2017

By order of
Hon'ble The Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Joint Registrar,
(Accounts C-3).

August 06, 2021

No. 52–Under the orders of Hon'ble The Acting Chief Justice dated 04-08-2021, the granted benefit of First ACP w.e.f. 01-01-2016 to Sri Devesh Kumar Dwivedi, System Manager (Voluntarily Retired), Emp. No. 564, *vide* Notification no. 80 dated 06-10-2018, at Sl. No. 1 is hereby cancelled and withdrawn.

No. 53–Under the orders of Hon'ble The Acting Chief Justice dated 04-08-2021, the granted benefit of First ACP w.e.f. 19-09-2016 to Sri Lok Nath Singh, Review Officer (Now Section Officer), Emp. no. 5718, *vide* Notification no. 173 dated 06-03-2021, at Sl. No. 2 is hereby cancelled and withdrawn.

(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Joint Registrar,
Accounts (C-3).

[ESTABLISHMENT SECTION]

NOTIFICATION

August 16, 2021

No. 54–From the date of taking over charge, Sri Pankaj Srivastava (Emp. No. 1468), holding the cadre post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III at High Court, Allahabad, is hereby appointed on the ex-cadre post of Joint Registrar-cum-Joint Principal Private Secretary in the Pay matrix of Level 13, as per Seventh Pay Commission (PB-4, Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pay Rs. 8,700 as per Sixth Pay Commission) in the Secretariat of Hon'ble the Chief Justice at Allahabad.

By order of
The Hon'ble Court,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

[ACCOUNTS (C-3) SECTION]

NOTIFICATION

August 25, 2021

No. 55–The following System Manager is hereby granted the benefits of First Financial Upgradation under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said First Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his name in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008, dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Grant of First Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	2	3	4
1	551	Sri Apoorva Agha	01-01-2016

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Joint Registrar,
(Accounts C-3).

[ESTABLISHMENT SECTION]

NOTIFICATION

August 25, 2021

No. 56–From the date of taking over charge, Sri Gireesan K.V., *Lko.* (Emp. No. 2514), Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Registrar-cum-Principal Private Secretary in the Pay scale of Level 13-A, as per 7th Pay Commission in the vacancy occurred due to appointment of Sri Brijesh Kumar on the *ex-cadre* post of Chief Private Secretary consequent upon retirement of Sri Dilip Chandra Srivastava.

No. 57–From the date of taking over charge, Sri Pankaj Srivastava (Emp. No. 1468), presently working on the *ex-cadre* post of Joint Registrar-cum-Joint Principal Private Secretary in the Secretariat of Hon'ble the Chief Justice under order dated 16-08-2021 of Hon'ble the Acting Chief Justice, is hereby promoted from the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad to the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV in his original cadre, in the pay scale of Level-13 as per 7th pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Gireesan K.V.

No. 58–From the date of taking over charge, Sri Raj Kumar Kannaujia (Emp. No. 2940), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Private Secretary-III, in the Pay scale of Level 12 as per 7th Pay Commission in the vacancy occurred due to appointment of Sri Pankaj Srivastava on the *ex-cadre* post of Joint Registrar-cum-Joint Principal Private Secretary in the Secretariat of Hon'ble the Chief Justice.

No. 59–From the date of taking over charge, Sri Ram Murti Yadav (Emp. No. 3534), Private Secretary Grade-I, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary-II, in the Pay scale of Level 11 as per 7th Pay Commission in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Raj Kumar Kannaujia.

[The above promotions shall be subject to repatriation of Officers from ex-cadre posts to their original posts and result of Writ Petition(s), filed if any].

By order of
The Hon'ble Court,
(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Registrar General.

August 26, 2021

No. 60–Sri Anil Kumar Sonkar (Emp. No. 4039), Assistant Registrar, High Court of Judicature at Allahabad is notionally promoted to the post of Assistant Registrar *w.e.f.* 05-02-2019 A.N., the date his junior Sri Rajendra Prasad Sharma (now deceased) was promoted as Assistant Registrar, along with all consequential benefits except arrears of salary (if any) for the period of notional promotion preceding the date of actual promotion. His name is placed above the name of Sri Shailesh Kumar Sinha (Emp. No. 4055) in the Assistant Registrar cadre.

By order of
The Hon'ble Court,
(*Sd.*) ILLEGIBLE,
I/c. Registrar General.

September 01, 2021

No. 61–From the date of taking over charge, Shri Indra Sen Sharma (Emp. No. 1029), holding the cadre post of Registrar-cum-Principal Private Secretary at High Court Allahabad, is hereby appointed on the *ex-cadre* post of Principal Private Secretary (Administration) at High Court Allahabad, in the Pay Matrix of Level 13-A, as per Seventh Pay Commission.

September 02, 2021

No. 62–From the date of taking over charge, Sri Moinul Hasan, *Lko.* (Emp. No. 2517), Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Registrar-cum-Principal Private Secretary, in the pay scale of Level-13A as per 7th Pay Commission, in the vacancy occurred due to appointment of Shri Indra Sen Sharma on the ex-cadre post of Principal Private Secretary (Administration), High Court, Allahabad, consequent upon retirement of Sri Sheel Nidhi Tiwari.

No. 63–From the date of taking over charge, Sri Arun Kumar (Emp. No. 1501), Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad to the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Moinul Hasan, Lko.

No. 64–From the date of taking over charge, Sri Vijay Kumar Gupta (Emp. No. 1540), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Arun Kumar.

No. 65–From the date of taking over charge, Km. Meenu Singh (Emp. No. 6919), Private Secretary Grade-I, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum- Private Secretary-II, in the Pay scale of Level 11 as per 7th Pay Commission in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Vijay Kumar Gupta.

[The above promotions shall be subject to repatriation of Officers from ex-cadre posts to their original posts and result of Writ Petition(s), filed if any].

By order of
The Hon'ble Court,
(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Registrar General.

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

10 अगस्त, 2021 ई0

सं0 1564/डी0एल0आर0सी0-2021—उप जिलाधिकारी स्याना की आख्या/प्रस्ताव संख्या 845/आर0के0 दिनांक 31 जुलाई, 2021 के द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु संरेखन से आच्छादित तहसील स्याना के ग्राम बाहपुर के गाटा संख्या 1494 रकबा 0.110 हे0, जो आबादी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, भूमि का ग्राम बांहपुर के गाटा संख्या 1379 रकबा 0.120 हे0, जो नवीन परती के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है से विनियम कर श्रेणी परिवर्तन किये जाने के संबंध में प्रेषित की गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 के द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 में उल्लिखित भूमियों के पुनर्ग्रहण धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियों और धारा-101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियों उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून, 2021 में उल्लेख किया गया है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लियाा गया है कि उ0प्र0 में ''गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आच्छादित जनपदों यथा बुलन्दशहर आदि के जिलाधिकारियों द्वारा ग्राम सभा के स्वामित्व अर्थात् ग्राम सभा के प्रबन्धन में निहित भूमि का निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन में रखी जायेगी।''

अतः उपर्युक्त शासनादेश/अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर उपजिलाधिकारी स्याना द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित भूमि की श्रेणी परिवर्तन किये जाने की अनुमति प्रदान करता हूं।

अनुसूची

		तालिका-01					तालिका-02					
क्र0 सं0	भूमि का विवरण	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	श्रेणी	क्र0 सं0	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	श्रेणी
1	गंगा एक्सप्रेस-वे हेतु प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोग की भूमि	बांहपुर	1494	0.110	आबादी	श्रेणी-6-2	-	-	-	-	-	-
2	श्रेणी परिवर्तन से भूमि का विवरण	बांहपुर	1494	0.110	आबादी	श्रेणी-6-2	1	बांहपुर	1379	0.120	नवीन परती	5-1
3	श्रेणी परिवर्तन के पश्चात् भूमि का विवरण	बांहपुर	1494	0.110	नवीन परती	श्रेणी-5-1	1	बांहपुर	1379	0.120	आबादी	6-2

अतः उपरोक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय करने की अनुज्ञा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उपजिलाधिकारी स्याना उपरोक्तानुसार भूमि को राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने के संबंध में नियमतः अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उक्त भूमि का प्रयोजन संबंधित विभाग/संख्या किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगें तथा उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है, तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय की अनुज्ञा को स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

07 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 1617/डी0एल0आर0सी0-2021—शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम बांहपुर तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहत थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उपजिलाधिकारी स्याना ने अपनी आख्या पत्रांक 909/र0का0 दिनांक 07.09.2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव व भू0प्र0सा0 के प्रस्ताव दिनांक 23 जुलाई, 2021 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 0.102 हे0 भूमि शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 02 जून, 2021 के अनुपालन में उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	बांहपुर	1494	0.102	नवीन परती	उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु।

16 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 1642/डी0एल0आर0सी0—उपजिलाधिकारी स्याना की आख्या/प्रस्ताव पत्रांक 932/आर0के0 दिनांक 13.09.2021 के द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु संरेखण से आच्छादित तहसील स्याना के ग्राम पौटा कबूलपुर के गाटा संख्या 915 रकवा 0.085 हे0 में से 0.016 हे0, जो तालाब श्रेणी 6-1 के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, भूमि का ग्राम पौटा कबूलपुर में गाटा संख्या 1196मि रकवा, 1.630 हे0 में से 0.020 हे0, जो नवीन परती के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, से विनियम कर श्रेणी परिवर्तन किये जाने के संबंध में प्रेषित की गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 689/एक—1—2020—20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं अधिसूचना संख्या 688/एक—1—2020—20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा—59 की उपधारा—2 में उल्लिखित भूमियों के पुर्नग्रहण, धारा—77 की उपधारा—2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा—101(2) के परन्तुक के अधीन विनियम की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून 2021 में उल्लेख किया गया है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह

निर्णय लिया गया है कि ''उ0प्र0 में गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आच्छादित जनपदों यथा बुलन्दशहर आदि के जिलाधिकारियों द्वारा ग्राम सभा के स्वामित्व अर्थात ग्राम सभा के प्रबन्धन में निहित भूमि का निःशुल्क पुर्नग्रहण कर औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के निर्वतन में रखी जायेगी।''

शासनादेश संख्या 32/744/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर 6(5) में तालाबों की श्रेणी परिर्वतन किये जाने के संबंध में स्पष्ट है कि ग्रामवासियों की उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा विद्यमान क्षेत्रफल से 25 प्रतिशत अधिक अर्थात 125 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तालाब की खुदाई करा करके उसे गहरा बनाना सुनिश्चित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खुदाई किये जाने वाले तालाब में वर्षा का अधिकाधिक जल का संचयन हो सकें, ताकि ग्रामवासियों द्वारा तालाब में संचित जल का समुचित उपयोग किया जा सकें। उक्त व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरान्त ही तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि विनियम के द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः उपयुक्त शासनादेश/अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर उपजिलाधिकारी स्याना द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पत्रांक 932/आर0के0 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के आधार पर निम्नलिखित भूमि की श्रेणी परिवर्तन/विनियम करने की अनुज्ञा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उपजिलाधिकारी स्याना निम्नानुसार भूमि को राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने के संबंध में नियमतः अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें। उक्त भूमि का प्रयोजन संबंधित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगें तथा उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जें में देने का अधिकार नहीं होगा, साथ ही उपजिलाधिकारी स्याना यह सुनिश्चित करेगें कि खुदाई किये जाने वाले तालाब में वर्षा का अधिकाधिक जल का संचयन हो सकें, ताकि ग्रामवासियों द्वारा तालाब में संचित जल का समुचित उपयोग किया जा सकें। उक्त व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरान्त ही तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि विनियम के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त प्रतिबन्ध का उल्लघंन किया जाता है, तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनियम की अनुज्ञा को स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

अनुसूची

तालिका-01							तालिका-02					
क्र0 सं0	भूमि का विवरण	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	श्रेणी	क्र0 सं0	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	श्रेणी
1	गंगा एक्सप्रेस-वे हेतु प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोग की भूमि	पौंटा कबूलपुर	915	0.016	तालाब	श्रेणी-6-1	-	-	-	-	-	-
2	श्रेणी परिवर्तन से पूर्व भूमि का विवरण	पौंटा कबूलपुर	915	0.016	तालाब	श्रेणी-6-1	1	पौटा कबूलपुर	1196 मि	0.020	नवीन परती	5-1
3	श्रेणी परिवर्तन के पश्चात् भूमि का विवरण	पौंटा कबूलपुर	915	0.016	नवीन परती	श्रेणी-5-1	1	पौटा कबूलपुर	1196 मि	0.020	तालाब	6-1

सं0 1640/डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी स्याना की आख्या/प्रस्ताव पत्रांक 930/आर0के0 दिनांक 13.09.2021 के द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु संरेखण से आच्छादित तहसील स्याना के ग्राम बीहटा के गाटा संख्या 79 रकवा 0.618 हे0, जो खेल के मैदान श्रेणी 6–4 के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, भूमि का ग्राम तकर्रबपुर लाडपुर के गाटा संख्या 1033 रकवा, 1.000 हे0, जो नवीन परती के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, से विनियम कर श्रेणी परिवर्तन किये जाने के संबंध में प्रेषित की गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 689/एक–1–2020–20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं अधिसूचना संख्या 688/एक–1–2020–20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 के द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की

धारा–59 की उपधारा–2 में उल्लिखित भूमियों के पुर्नग्रहण, धारा–77 की उपधारा–2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा–101(2) के परन्तुक के अधीन विनियम की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या यू0ओ0–70 / एक–1–2021 दिनांक 02 जून 2021 में उल्लेख किया गया है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ''उ0प्र0 में गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आच्छादित जनपदों यथा बुलन्दशहर आदि के जिलाधिकारियों द्वारा ग्राम सभा के स्वामित्व अर्थात ग्राम सभा के प्रबन्धन में निहित भूमि का निःशुल्क पुर्नग्रहण कर औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के निर्वतन में रखी जायेगी।''

अतः उपयुक्त शासनादेश / अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर उपजिलाधिकारी स्याना द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या / प्रस्ताव पत्रांक 932 / आर0के0 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के आधार पर निम्नलिखित भूमि की श्रेणी परिवर्तन / विनियम करने की अनुज्ञा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उपजिलाधिकारी स्याना निम्नानुसार भूमि को राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने के संबंध में नियमतः अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें। उक्त भूमि का प्रयोजन संबंधित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगें तथा उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जें में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि उक्त प्रतिबन्ध का उल्लघंन किया जाता है, तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनियम की अनुज्ञा को स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

अनुसूची

तालिका-01							तालिका-02					
क्र0 सं0	भूमि का विवरण	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	श्रेणी	क्र0 सं0	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	श्रेणी
1	गंगा एक्सप्रेस-वे हेतु प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोग की भूमि	बीहटा	79	0.618	खेल का मैदान	श्रेणी-6-4	-	-	-	-	-	-
2	श्रेणी परिवर्तन से पूर्व भूमि का विवरण	बीहटा	79	0.618	खेल का मैदान	श्रेणी-6-4	1	तकर्रबपुर लाडपुर	1033	1.000	नई परती	5-1
3	श्रेणी परिवर्तन के पश्चात् भूमि का विवरण	बीहटा	79	0.618	नई परती	श्रेणी-5-1	1	तकर्रबपुर लाडपुर	1033	1.000	खेल का मैदान	6-4

सं0 1641 / डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी स्याना की आख्या / प्रस्ताव पत्रांक 931 / आर0के0 दिनांक 13.09.2021 के द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु संरेखण से आच्छादित तहसील स्याना के ग्राम हिंगवाड़ा के गाटा संख्या 629ख रकवा 0.279 हे0 में से 0.002 हे0, जो तालाब श्रेणी 6–1 के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, भूमि का ग्राम हिंगवाड़ा में गाटा संख्या 221 रकवा 0.103 हे0 में से 0.0025 हे0, जो नवीन परती के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, से विनियम कर श्रेणी परिवर्तन किये जाने के संबंध में प्रेषित की गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 689 / एक–1–2020–20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं अधिसूचना संख्या 688 / एक–1–2020–20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 के द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा–59 की उपधारा–2 में उल्लिखित भूमियों के पुर्नग्रहण, धारा–77 की उपधारा–2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा–101(2) के परन्तुक के अधीन विनियम की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या यू0ओ0–70/एक–1–2021 दिनांक 02 जून 2021 में उल्लेख किया गया है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ''उ0प्र0 में गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आच्छादित जनपदों यथा बुलन्दशहर आदि के जिलाधिकारियों द्वारा ग्राम सभा के स्वामित्व अर्थात ग्राम सभा के प्रबन्धन में निहित भूमि का निःशुल्क पुर्नग्रहण कर औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के निर्वतन में रखी जायेगी।''

शासनादेश संख्या 32/744/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03 जून 2016 के प्रस्तर 6(5) में तालाबों की श्रेणी परिवर्तन किये जाने के संबंध में स्पष्ट है कि ग्रामवासियों की उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा विद्यमान क्षेत्रफल से 25 प्रतिशत अधिक अर्थात 125 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तालाब की खुदाई करा करके उसे गहरा बनाना सुनिश्चित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खुदाई किये जाने वाले तालाब में वर्षा का अधिकाधिक जल का संचयन हो सकें, ताकि ग्रामवासियों द्वारा तालाब में संचित जल का समुचित उपयोग किया जा सकें। उक्त व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरान्त ही तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि विनियम के द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः उपयुक्त शासनादेश/अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर उपजिलाधिकारी स्याना द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पत्रांक 931/आर0के0 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के आधार पर निम्नलिखित भूमि की श्रेणी परिवर्तन/विनियम करने की अनुज्ञा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उपजिलाधिकारी स्याना निम्नानुसार भूमि को राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने के संबंध में नियमतः अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें। उक्त भूमि का प्रयोजन संबंधित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगें तथा उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जें में देने का अधिकार नहीं होगा, साथ ही उपजिलाधिकारी स्याना यह सुनिश्चित करेगें कि खुदाई किये जाने वाले तालाब में वर्षा का अधिकाधिक जल का संचयन हो सकें, ताकि ग्रामवासियों द्वारा तालाब में संचित जल का समुचित उपयोग किया जा सकें। उक्त व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरान्त ही तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि विनियम के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त प्रतिबन्ध का उल्लघंन किया जाता है, तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनियम की अनुज्ञा को स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

अनुसूची

तालिका-01							तालिका-02					
क्र0 सं0	भूमि का विवरण	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	श्रेणी	क्र0 सं0	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	श्रेणी
1	गंगा एक्सप्रेस-वे हेतु प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोग की भूमि	हींगवाडा	629ख	0.002	तालाब	श्रेणी-6-1	-	-	-	-	-	-
2	श्रेणी परिवर्तन से पूर्व भूमि का विवरण	हींगवाडा	629-ख	0.002	तालाब	श्रेणी-6-1	1	हींगवाडा	221	0.0025	नवीन परती	5-1
3	श्रेणी परिवर्तन के पश्चात् भूमि का विवरण	हींगवाडा	629-ख	0.002	नवीन परती	श्रेणी-5-1	1	हींगवाडा	221	0.0025	तालाब	6-1

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

27 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 1076/8(भू0अ0)/न0म0पा0-प्रथम/लखनऊ–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से संचालित मेसर्स ईमार एमजीएफ लैण्ड लि0 की इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के सम्पूर्ण विकास के लिए जनपद लखनऊ, तहसील सरोजनी नगर, परगना लखनऊ, ग्राम संरसवा, की 0.7184 हे0 भूमि पर प्रस्तावित 45 मीटर रोड हेतु आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनाक 16 सितम्बर, 2021 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है–

(क) प्रस्तावित भूमि के लिए आवश्यक 0.7184 हे0 भूमि का अर्जन/अधिग्रहण किया जाना जनहित में है। इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

(ख) भूमि के अर्जन से होने वाला सम्भावित लाभ प्रतिमूल सामाजिक समाघात की तुलना में बहुत अधिक है। वस्तुतः प्रतिकूल सामाजिक समाघात नगण्य है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित कये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	सरोजनीनगर	लखनऊ	सरसवां	39	0.0222
				48	0.0356
				177	0.0136
				179	0.0046
				184	0.123
				185	0.0116
				186	0.0056
				274-मि0	0.1212
				275-मि0	0.210
				56	0.171
				योग. .	**0.7184**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नही कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1077/(भू0अ0)/न0म0पा0-प्रथम/लखनऊ—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से संचालित मेसर्स ईमार एमजीएफ लैण्ड लि0 की इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जनपद लखनऊ तहसील सरोजनी नगर परगना लखनऊ ग्राम सरसवां की 8.2322 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनाक 16 सितम्बर, 2021 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण का सारॉश इस प्रकार है—

(क) प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक 8.2322 हे0 भूमि का अर्जन/अधिग्रहण किया जाना जनहित में है। इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

(ख) भूमि के अर्जन से होने वाला सम्भावित लाभ प्रतिमूल सामाजिक समाघात की तुलना में बहुत अधिक है। वस्तुतः प्रतिकूल सामाजिक समाघात नगण्य है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित कये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	सरोजनीनगर	लखनऊ	सरसवां	44-मि0	0.253
				56	0.133
				171	0.026
				173	0.157
				201	0.209
				206	0.0671
				227	0.172
				242	0.086
				245	0.361

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	सरोजनीनगर	लखनऊ	सरसवां	247	0.667
				320	0.0611
				321	0.253
				339	0.0062
				356	0.253
				361	0.052
				392	1.144
				393	0.279
				423	0.620
				427	0.054
				431	0.172
				437	0.391
				योग. .	5.4164
			अरदौनामऊ	1	0.228
				2	0.272
				4	0.139
				11	0.208
				38	0.0263
				39	0.0405
				55	0.129
				127-स	0.191
				129-मि0	0.123
				131	0.272
				159/2	0.142
				योग. .	1.7708
			अहमामऊ	2	1.045
				योग. .	1.045
				कुल योग. .	8.2322

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नही कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

मनीष कुमार नाहर,
कलेक्टर, लखनऊ,
(भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ)।

पी0एस0यू0पी0–29 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-एडी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 16 अक्टूबर, 2021 ई० (आश्विन 24, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर

22 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 656/सा0प्र0/2021-22–नगरपालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर के द्वारा जनहित एवं पालिका हित में पालिका परिक्षेत्र में खुले में शौच से मुक्त एवं ठोस अपशिष्ठ निपटान, प्रयोक्ता शुल्क एवं विनियमन नियमावली, 2020 सम्बन्धी उपविधि तैयार करने हेतु पालिका बोर्ड प्रस्ताव संख्या 167, दिनांक 04 जून, 2019 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पालिका के द्वारा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293, 298 तथा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम 2016 के अन्तर्गत वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन एवं विनियमन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2020 का प्रस्तावित करके नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर की वेबसाइट www.nppmuzaffarnagar.com पर अपलोड दिनांक 06 फरवरी, 2020 में कराई गई तथा सम्बन्धित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2020 अधिसूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्रों क्रमशः मुजफ्फरनगर बुलेटीन, रायल बुलेटीन, शाह टाईम्स एवं दैनिक जनवाणी में आमजन/सर्वसाधारण से एक माह के भीतर आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये जाने हेतु पृथक-पृथक रूप से प्रकाशन दिनांकः 07 फरवरी, 2020 के अंक में कराया गया। उक्त उपविधि को नगरपालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर की वेबसाइट www.nppmuzaffarnagar.com पर अपलोड एवं दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशन उपरान्त निर्धारित अवधि के अन्दर किसी व्यक्ति या आमजन के द्वारा उक्त प्रस्तावित उपविधि, 2020 की बाबत कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने पर नियमानुसार बोर्ड प्रस्ताव संख्या 333 (विशेष), दिनांकः 24 जुलाई, 2020 के द्वारा स्वीकृति एवं अनुमोदन करते हुए उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(2) के अन्तर्गत नियमानुसार गजट नोटिफिकेशन कराने हेतु निम्नवत् नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2020 की स्वीकृति प्रदान की गई। पालिका बोर्ड द्वारा स्वीकृत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2020 नगरपालिका परिक्षेत्र में राजकीय प्रेस प्रयागराज उ0प्र0 के द्वारा गजट प्रकाशन की तिथि से ही लागू होगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2020 (प्रारूप)

नगरपालिका परिषद, मुज़फ्फरनगर ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293 व 298 के अन्तर्गत व वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016'' के अन्तर्गत वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन एवं विनियमन हेतु उपविधि (प्रारूप) बनायी है।

इस सम्बन्ध में पारित संकल्प निम्नवत है–

1–''संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ''–

(1) इस उपविधि का नाम नगरपालिका परिषद्, मुज़फ्फरनगर की ''नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2020'' कहलायेगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू/प्रभावी होगी।

(2) यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार-पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगे।

2–''लागू होना''–

यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, मुज़फ्फरनगर की सीमा में (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेगी) लागू होगी एवं सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी ठोस अपशिष्ट उत्पादन करने वालों, प्रत्येक स्वामित्व/अध्यासन वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर जो नगरपालिका परिषद्, मुज़फ्फरनगर की सीमा में है पर लागू होगी।

3–इस उपविधि में जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो उपविधि एवं परिभाषाएं–

जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में–

(1) ''अभिकरण या अभिकर्ता'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मुज़फ्फरनगर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था या एजेन्सी या फर्म या संविदाकर्ता से है, जो उसकी ओर से गलियों की सफाई और अपशिष्ट के संग्रह, प्रबंधन, परिवहन, भण्डारण, पृथक्कीरण संग्रहण, यूजर चार्ज, शमन शुल्क के संग्रह आदि कृत्य का निर्वहन करें।

(2) ''जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट)'' से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधों/जानवरों से जनित अपशिष्ट जैसे रसोई अपशिष्ट, भोजन एवं फूलों का अपशिष्ट, पत्तियों, बगीचों का अपशिष्ट, जानवरों का गोबर, मीट/मछली का अपशिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ जो माइक्रोआर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड/डिकम्पोज हो सकता है।

(3) ''जैवचिकित्सा अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट)'' से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो किसी प्राणी या जन्तु के निदान या उपचार के दौरान या अनुसंधान क्रियाकलापों में या जीवों के उत्पादन या परीक्षण में सृजित हो। इसके अन्तर्गत अनुसूची तीन में उल्लिखित श्रेणियां भी सम्मिलित हैं।

(4) ''शुष्क अपशिष्ट से तात्पर्य'' बायो डिग्रेडिबुल अपशिष्ट और गली के निष्क्रिय कूड़ा करकट से भिन्न अपशिष्ट से है और जिसके अन्तर्गत री-साइक्लेबुल अपशिष्ट, नान-रीसाइक्लेबुल अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ट और सेनेटरी नैपकिन और डाइपर आदि से है।

(5) ''घरेलू परिसंकटमय (हजार्डस) अपशिष्ट'' से तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक/हानिकारक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी0एफ0एल0 बल्ब, ट्यूबलाईटें, अवधि समाप्त औषधियॉ, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियॉ, प्रयुक्त सुइयॉ तथा सिरिंज और संदूषित पटिटयॉ आदि से है।

(6) ''बायो-मीथेनेशन से तात्पर्य'' ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें माइक्रोबियल एक्शन द्वारा कार्बनिक पदार्थ का इन्जाइमी डीकम्पोजीशन/ब्रेकिंग डाउन होता है जिसके कारण मीथेन से भरपूर बायोगैस का उत्पादन होता है।

(7) ''द्वार-द्वार संग्रहण से तात्पर्य'' घरों, दुकानों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों के द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसायटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेन्ट, बडे आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत काम्पलेक्स या परिसरों में भूतल पर प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है।

(8) ''विकेन्द्रित प्रसंस्करण'' से तात्पर्य बायोडिग्रेडिबुल अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्त्रोत से निकटतम रीसाइक्लेबुल सामग्रियों की प्रति प्राप्ति करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पडे।

(9) ''ब्रांड ओनर से तात्पर्य'' ऐसी किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से है जो किसी सामग्री की एक रजिस्टर्ड ब्रैंड लेबल के अन्तर्गत वाणिज्यिक विक्रय करती है।

(10) ''निपटान से तात्पर्य'' भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण उपरान्त अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूडा करकट और सतही नाले की सिल्टका अंतिम तथा सुरक्षित निपटान से है।

(11) ''नगर निकाय'' से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, मुज़फ्फरनगर से है।

(12) ''बृहद् अपशिष्ट सृजक (बल्क वेस्ट जनरेटर)'' से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों से है जो औसतन 100 किलोग्राम की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं तथा इनमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राईवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम,

स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन या अन्य प्रयोगकर्ता जैसे कि क्लब, जिमखाना, शादीघर, मनोरंजन परिसर भी शामिल हैं, आदि से है।

(13) ''संग्रहण'' से तात्पर्य नियत संग्रहण स्थलों या अन्य स्थानों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने और हटाने से है।

(14) ''स्त्रोत पर संग्रहण'' से तात्पर्य किसी भवन के परिसर या भवनों के किसी समूह के परिसरों के भीतर से नगर निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से है। इसे ''घर-घर संग्रहण'' भी कहा जा सकता है।

(15) ''सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र'' से तात्पर्य किसी ऐसी भण्डारण सुविधा से है जिसकी व्यवस्था तथा रख-रखाव नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु एक या उससे अधिक परिसरों के स्वामियों और/या अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

(16) ''कम्पोस्ट खाद निर्माण से तात्पर्य'' ऐसी नियन्त्रित प्रकिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का जैविकीय अपघटन एरोबिक/एनएरोबिक अन्तर्ग्रस्त है। इसके अन्तर्गत कृमिक खाद निर्माण भी है, जो जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को वानस्पतिक खाद में परिवर्तित करने हेतु केचुओं के प्रयोग की एक प्रक्रिया है।

(17) ''निर्माण व ध्वस्तीकरण सम्बन्धी अपशिष्ट'' से तात्पर्य निर्माण, पुर्ननिर्माण, मरम्मत और ध्वस्तीकरण संक्रिया से निकलने वाली भवन सामग्री, मलवा और रोडी से उत्पन्न अपशिष्ट से है।

(18) ''अपशिष्ट छॅटाई केन्द्र'' से तात्पर्य किसी ऐसी अभिहित भूमि शेड छतरी, या ढांचे से है जो किसी नगर निकाय की या सरकारी भूमि पर या अपशिष्ट को प्राप्त करने या उसकी छॅटाई करने के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक जगह पर स्थित हो।

(19) ''अपशिष्ट उत्पादक'' से तात्पर्य नगर निकाय की सीमा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था से है।

(20) ''निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट से तात्पर्य'' किसी ठोस अपशिष्ट या प्रसंस्करण के अवशेष से है, जिसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण धर्म उसे सफाई सम्बन्धी गड्ढे के लिए उपयुक्त बनाते है।

(21) ''कूडा कचरा से तात्पर्य'' किसी प्रकार का ठोस या तरल घरेलू या वाणिज्यिक कचरा, मलबा या कूडा या किसी प्रकार का शीशा धातु आदि के टुकडे कागज कपडा, लकडी खाना, वाहन के परित्यक्त भाग, फर्नीचर या फर्नीचर के भाग, निर्माण से ध्वस्त सामग्री, उद्यान अपशिष्ट, कतरन, ठोस बालू या पत्थर और किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा की गयी कोई अन्य सामग्री पदार्थ या वस्तु से है।

(22) ''संग्रहण'' से तात्पर्य कूडे कचरे को ऐसे स्थान पर रखने से है, जहां पर वह गिराया या उतारा जाता है अथवा बह कर आता है, रिसता या अन्य प्रकार से बह कर आता है या किसी सार्वजनिक स्थान में या उस पर उसके गिराने, उतारने, बहकर आने, रिसने या किसी प्रकार से आने की सम्भावना हो।

(23) ''स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह'' स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह से तात्पर्य आवासीय या वाणिज्यिक परिसरों के स्वामियों या अध्यासियों के किसी समूह या किसी विशिष्ट पडोस के ऐसे स्वामियों या अध्यासियों की समितियों या संगठनों से है जो नगर निकाय द्वारा निविर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर परिभाषित किये गये हों, जो उस क्षेत्र में सफाई बनाये रखने और अपशिष्ट में कमी करने, पृथक्करण और पुर्नचक्रण के लिए उत्तरदायित्व लेने के लिए आगे आये हों। प्रतिबन्ध यह है कि व सहकार समितियों, के निबन्धक द्वारा पंजीकृत हों और उनके उद्‌देश्य और प्रयोजन के अन्तर्गत सफाई बनाये रखना और अपशिष्ट के पृथक्करण और पुर्नचक्रण भी सम्मिलित हों और उसे नगर निकाय द्वारा स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह के रूप में अनुमादित किया गया हो।

(24) ''मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर)'' से तात्पर्य किसी गली, लेन, पार्श्व-पथ, पैदल पथ, खडन्जा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूमकर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, खाद्य सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरित करने में लगे व्यक्ति से है जिसके अन्तर्गत फेरीवाला आदि सम्मिलित हैं।

(25) ''नगरीय ठोस अपशिष्ट'' के अन्तर्गत नगर निकाय में उत्पादित ऐसा वाणिज्यक, आवासीय और अन्य अपशिष्ट भी है, जो ठोस या अर्द्धठोस रूप में हो।

(26) ''गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन'' से तात्पर्य नगर के ऐसे गैर सरकारी संगठन से है, जो नगर में सिविल सोसाइटी संगठन और गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधत्व निकाय है, सुसंगत अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो।

(27) ''अध्यासी'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या किसी भवन या उसके भाग का अध्यासी है या अन्यथा रूप से उपयोग कर रहा है।

(28) ''स्वामी से तात्पर्य'' ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन भूमि या उसके भाग के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग कर रहा है।

(29) ''प्रसंस्करण'' से तात्पर्य ऐसे किसी वैज्ञानिक प्रस्संकरण से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट पुनचक्रण या भू-भरण स्थल हेतु उपयुक्त बनाने के प्रयोजन के लिए प्रस्संकरण हेतु अभिक्रियित किया गया है।

(30) ''पुनर्चक्रण'' से तात्पर्य नये उत्पादों को उत्पादित करने हेतु पृथक्कृत गैर जैव विकृत ठोस अपशिष्ट को ऐसी कच्ची सामग्री में परिवर्तित करने की प्रकिया से है, जो मूल उत्पादों के समान हो सकती है या नहीं हो सकती है।

(31) ''कचरा निस्तारण प्रभारी से तात्पर्य'' नगर निकाय द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन और निस्तारण के लिए अधिसूचित फीस या प्रभार से है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाईसेंसी के लिए यथा प्रयोज्य व्यापार कचरा प्रभार सम्मिलित है।

(32) ''प्रयोक्ता शुल्क'' से तात्पर्य कचरा निस्तारण कार्य के सन्दर्भ में निर्धारित यूजर चार्ज से है।

(33) ''पृथक्करण'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट को विनिर्दिष्टि समूह के जैव नाशित परिसंकटमय जैव चिकित्सीय निर्माण और ध्वंष सामूहिक उद्यान और बागवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक करने से है।

(34) ''छंटाई'' करना से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुर्नचक्रण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गो जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कॉच आदि को समुचित पुनः चक्रण सुविधा में पृथक करना सम्मिलित है।

(35) ''भण्डारण'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के उस रीति से अस्थायी संग्रहण से है जिससे कि कूडा करकट के बिखराव, रोगवाहकों के आकर्षण, आवारा पशुओं और अतिशय दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(36) ''परिवहन'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।

(37) ''विहित प्राधिकारी'' में अधिशासी अधिकारी से सफाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे।

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगें, जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में उनके लिए क्रमशः समुनिदेशित है जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों।

इस उपविधि के अन्तर्गत उपरोक्त दी गयी परिभाषा से सम्बन्धित दायित्वों/कर्तव्यों/कार्यो का विवरण, प्रतिषेध, शास्ति एवं प्रशमन आदि का विवरण निम्नवत् हैः–

अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के सामान्य कर्तव्य–प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता–

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात बायोडिग्रेडिबुल (गीला कूडा), नान-बायोडिग्रेबल (सूखा कूडा) और घरेलू हजार्डस अपशिष्ट के तीन अलग-अलग रंग के डिब्बों क्रमशः हरा, नीला एवं काला में भंडारित करेगा और समय-समय पर नगरपालिका परिषद द्वारा निर्गत निर्देश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध करायी गई थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त लपेटन (रैपर) सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या नान-बायोडिग्रेबल अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।

(2) कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली/नालों या जलाशयों में न फेकेगा, न जलायेगा और न गाड़ेगा।

(3) सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस अनुसूची-4 का भुगतान करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये नगर पालिका परिषद की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसी व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्त्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को नगर पालिका परिषद द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा तथा इस सन्दर्भ में दी गयी अनुमति की सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर) अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिये उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा अन्यथा समीपस्थ सम्बन्धित अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा।

(6) 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगरपालिका परिषद् की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्त्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किये गये

अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेगें। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमीथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

(7) सभी बृहद् अपशिष्ट सृजक नगरपालिका परिषद् की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्त्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बृहद् अपशिष्ट सृजक द्वारा बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का, परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कंपोस्टिंग करके अथवा बायो मिथेनाइजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

3—प्रतिषेध—

(1) कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन से जानबूझकर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यो से सम्बद्ध नाली, गली, गड्ढा, सम्वातन पाईप और फिटिंग में कोई कूड़ा कचरा या अपशिष्ट नहीं फेंकेगा या फेंकवायेगा।

जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो—

(i) जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुॅचने की,

(ii) नाली एवं मल पदार्थ के निर्बाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की,

(iii) खतरनाक होने या जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की,

(2) कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित लोक सुविधाओं के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्नान नहीं करेगा न ही थूकेगा न पेशाब करेगा न ही उसे विकृत करेगा न पशुओं और चिड़ियों के समूह को खिलायेगा और न ही पशुओं, वाहनों बर्तनो या किसी अन्य वस्तु का प्रक्षालन करेगा।

(3) कोई व्यक्ति स्वामी या अधिभोगी स्वामित्व प्राप्त या अध्यासित किसी परिसर के सामने या उससे संलग्न किसी सार्वजनिक स्थल को किसी प्रकार के अपशिष्ट चाहे वह द्रव्य, अर्द्धठोस या ठोस पदार्थ हो जिसमें मल प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है, से गन्दा नहीं करेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही अपने पालक से करायेगा।

(5) पालतु पशुओं के स्वामी किसी भी दशा में उन्हें खुला नहीं छोड़ेगें क्योंकि इससे मार्गो/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध एवं दुर्घटनायें होने की संभावना बनी रहती है।

(6) कोई भी व्यक्ति घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डो अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी नहीं करेगा।

(7) कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्मोकोल आइटम्स का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय नहीं करेगा।

(8) कोई भी व्यक्ति सड़क, मार्ग या अनाधिकृत स्थल पर जानवरों का गोबर, लीद, पचौनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ न तो डालेगा और न ही डलवायेगा।

(9) कोई भी व्यक्ति, जानवरों का पालक/स्वामी ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेगा।

(10) कोई भी व्यक्ति या उसका पालक किसी सार्वजनिक स्थल, सड़क, पार्क आदि में अपशिष्ट नहीं डालेगा। इन स्थानों की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफाईकर्मी द्वारा घर-घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा डालते हुये पाया जाता है तो अपशिष्ट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने का व्यय सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।

4—नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण—

(1) घरेलू अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण—

(क) द्वार-द्वार संग्रहण में लगे प्रत्येक सफाईकर्मी को कंटेनरयुक्त हाथठेला/रिक्शा तथा एक घण्टी या सीटी/सायरन उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक कर्मी का सफाई बीट में सफाई तथा निश्चित की गई संख्या में भवनों के अपशिष्ट संग्रहण का दायित्व सौंपा जायेगा। सफाईकर्मी घण्टी या सीटी/सायरन बजाकर सफाई तथा घरों से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य यथा-निर्धारित समयावधि में एवं यथा-निर्धारित स्वरूप में करेगा। सफाई कर्मी सड़क/गली की सफाई से संग्रहित पेड़ों के पत्तों एवं कूड़े को जलायेगा नहीं और उसे नगर पालिका परिषद द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता के सौंपेगा।

(ख) नगर निकाय वैकल्पिक रूप से घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण के लिए कन्टेनरयुक्त वाहन/मोटर वाहन की व्यवस्था कर सकेगा। वाहन चालक, घर या बीट में हार्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा, स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू अपशिष्ट को सीधे कन्टेनर में डालेगे।

(ग) किसी कारणवश उप नियम (क) अथवा (ख) में अंकित व्यवस्था संभव न होने पर स्वयं सेवी संगठनों, अभिकरणों अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य कराया जा सकेगा।

(घ) भवन स्वामी या अध्यासी से प्रयोक्ता शुल्क भी वसूला जा सकेगा।

(2) होटल अपशिष्ट का संग्रहण–होटल या रेस्टोरेंट द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए स्वयं की व्यवस्था की जायेगी। नगर निकाय द्वारा यह व्यवस्था सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी।

(3) शादी घरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक केन्द्रों के अपशिष्ट का संग्रहण-शादी घरों, कल्याण मण्डपों, सामुदायिक केन्द्रों से प्रतिदिन अपशिष्ट संग्रहण के लिए नगर निकायों द्वारा सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी। यह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकरण/अभिकर्ताओं द्वारा भी करायी जा सकेगी।

(4) वधशाला अपशिष्ट तथा मृत पशुओं की अस्थियों का निस्तारण वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी। इस अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(5) औद्योगिक अपशिष्ट का संग्रहण परिवहन और निस्तारण औद्योगिक आस्थानों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) अनुपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (जैसा अनुसूची-3 में सूचीबद्ध है) का विनिर्दिष्ट प्रकार के आच्छादित पात्रों में भण्डारित किया जायेगा और अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था साप्ताहिक समयान्तर से नगर निकाय द्वारा या किसी अभिकरण द्वारा की जायेगी या ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए अभिहित केन्द्र को ऐसी रीति से निस्तारण करने के लिए सौंपा जायेगा जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और व्यवस्था) नियमावली, 2016 के अनुसार आदेशित हों।

(7) निर्माण और ध्वस्तीकरण संबंधी अपशिष्ट के भण्डारण और निस्तारण के सम्बन्ध में लघु सृजकों (घरेलू स्तर) के लिए यह उत्तरदायित्व पूर्ण होगा कि वह प्रारम्भिक अवस्था में भी पृथक्-पृथक् किये गये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का भण्डारण करेगें एवं नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित स्थल पर उसका परिवहन कर डालेगा, अन्यथा कि स्थिति में उत्पादक नगर निकाय या उसके अधिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करेगें जो उत्पादक से पृथक्-पृथक् किये गये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को उठाने के लिये वाहन उपलब्ध करायेगा जिसका एक विनिर्दिष्ट प्रभार होगा। तदुपरान्त इस अपशिष्ट को प्रसंस्करण केन्द्र को भेज दिया जायेगा।

(8) सभी जैव अनाशित (नानबायोडिग्रडेबुल) अपशिष्ट पुनः प्रयोग करने योग्य और पुनः प्रयोग न करने योग्य अपशिष्ट का भण्डारण अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा पृथक्-पृथक् किया जायेगा और उसे निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा, जिसकी व्यवस्था नगर पालिका परिषद या उसके अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर की जायेगी जैसा कि ऐसे अपशिष्ट को संग्रह करने के लिए समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा या नगर निकाय या सरकारी या निजी भूमि पर स्थापित लाइसेंस प्राप्त ऐसे अपशिष्ट के छटान केन्द्रों को दिया जायेगा।

वेस्ट पिकर्स–वेस्ट पिकर्स (कूडा बिनने वालों का) सर्वेक्षण कर उनका व उनसे संबंधित सहकारी संस्थाओं को चिन्हित किया जायेगा तथा प्रत्येक वेस्ट पिकर को पहचान-पत्र दिया जायेगा। उन्हें अपने कार्य का प्रशिक्षण देते हुए उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर पहचान-पत्र में अंकित किया जायेगा तथा उन्हें घर-घर से रिसाईक्लेबल अपशिष्ट संग्रह करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। वेस्ट पिकर्स वाली सहकारी संस्थाओं, लाइसेंस प्राप्त पुनः प्रयोगकर्ताओं या कबाडियों को, अपशिष्ट संग्रह सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए नगर निकाय के लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं के साथ ऐसे अपशिष्ट छटान केन्द्रों के संचालन के लिए नियुक्त किया जा सकता है। (पुनः प्रयोग करने योग्य अपशिष्ट के प्रकार की विस्तृत सूची अनुसूची दो में दी गई है)।

(9) उद्यान और बागबानी अपशिष्ट की प्रारंभिक अवस्था मे ही कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। जहां स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनाना संभव न हो नगर निकाय अधिसूचित उचित फीस लेकर पृथक-पृथक किये गये उद्यान और बागबानी अपशिष्ट का संग्रह और परिवहन जारी रखेगा।

(10) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को हाथठेला गाड़ियों से सामुदायिक अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।

(11) किसी प्रकार के अपशिष्ट को जलाया नहीं जायेगा।

(12) नाले एवं गलियों के सफाई से निकली हुई सिल्ट के संग्रह एवं परिवहन तथा निपटान हेतु अलग से व्यवस्था की जायेगी।

5–नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण–

(1) प्रत्येक व्यक्ति, स्वामी या अध्यासी या अपशिष्ट उत्पादक नगरीय ठोस अपशिष्ट को अपशिष्ट उत्पादन स्त्रोत के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में पृथक करेगा–

1. जैव नाशित (बायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (गीला कूड़ा)
2. जैव अनाशित (नानबायोडिग्रेडिकल) अपशिष्ट (सूखा कूड़ा)
3. जैव चिकित्सीय (बायोमेडिकल) अपशिष्ट
4. घरेलू परिसंकटमय (हजार्ड्स) अपशिष्ट

(2) पृथक्करण के लिए नगर निकाय द्वारा जनजागरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस हेतु जन कल्याण समितियों, गैर सरकारी संगठनों, कक्ष समितियों, तथा नागरिक समूहों को सम्मिलित किया जायेगा।

6—नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण—

(1) नगर निकाय नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण के सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस नीति से करेगा कि आस-पास अस्वास्थ्यकर स्थिति न उत्पन्न हो।

(2) भण्डारण सुविधा सुगम स्थल पर होगी।

(3) भण्डारण सुविधा इस प्रकार की हो कि वहां किसी प्रकार का अपदूषण तथा गन्दगी न फैले।

(4) नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण व हथालन सुगमतापूर्वक हो सके, अतः यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(5) जहां किसी सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र चाहे वह खुले स्थान में हो या बन्द शेड में जो किसी परिसर में हो या सार्वजनिक स्थान पर स्थित हो, से नगर निकाय वाहनों द्वारा सीधे ही नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रह किया जाता हो वहां ठोस को पृथक्-पृथक् किये गये अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्था किये गये अनुसार जमा किया जायेगा।

7—सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र—

अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का निस्तारण इस हेतु उपबंधित अपशिष्ट वाहनों तथा अपशिष्ट भण्डार केन्द्रों में किया जायेगा जहां से नगर निकायों द्वारा संग्रह वाहन ऐसे अपशिष्ट का प्रतिदिन ऐसे समय पर संग्रहित करेगा जैसा अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी समय-समय पर अधिसूचित करें।

8—ढॉचागत सुविधाओं की व्यवस्था—

नगर निकाय इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में नागरिको की सहायता करने के लिए पर्याप्त ढॉचागत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के अतिरिक्त कूड़ा फेकने के लिए डस्टबिन, सामुदायिक भण्डारण केन्द्र अपशिष्ट छटान केन्द्र और कम्पोस्ट खाद बनाने के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जहां कहीं सम्भव और आवश्यक हो यह कार्य स्थानीय नागरिकों के परामर्श और सहभागिता से किया जायेगा। मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों और प्रक्षालन सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जायेगी, जिसमें संगठनो या स्थानीय क्षेत्र के नागरिक समूहों पर आधारित स्थानीय समुदायों की भागीदारी होगी। किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, मार्केट कॉम्प्लेक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व भवन योजना में पृथक् किए गये अपशिष्ट के संग्रहण पृथक्करण और भण्डारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्राविधान सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। दिन प्रतिदिन के आधार पर बाजारों से सब्जियों, फलों, फूलों, मांस, कुकुट पालन और मछली बाजार से अपशिष्ट संग्रह करना और इस हेतु स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करते हुए उचित स्थानों पर विकेन्द्रिकृत कम्पोस्टिंग प्लांट या जैव मीथेनीकरण प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

9—सुविधा और सहायता उपलब्ध करना—

अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी कम्पोस्ट खाद्य बनाने वाले विशेषज्ञों लाइसेंस प्राप्त कबाड़ियों, पुनः प्रयोग करने वाले व्यापारियों, कूड़ेदान विनिर्माताओं, पुनः प्रयोग करने में सिद्धहस्त अभिकरणों की सूची बनायेगा और उसे प्रकाशित करेगा, जिससे कि अपशिष्ट को पुनः प्रयोग करने योग्य बनाने में नागरिकों को सुविधा और सहायता मिल सके। कर्मचारियों और पंजीकृत व्यक्तियों और संगठनों के नाम और टेलीफोन नंबर नगर निकाय के सम्बिन्धित कार्यालयों से उपलब्ध कराये जायेगें। ये संगठन इस प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं और क्षेत्रीय नागरिक समूहों के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जायेगी।

10—कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार एवं प्रयोक्ता शुल्क का लगाया जाना—

नगर निकाय होटलों, रेस्तरां और अपशिष्ट के अन्य सृजकों पर कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार लगायेगा। अपशिष्ट प्रभार का निर्धारण अधिशासी अधिकारी द्वारा अपशिष्ट की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अनुपातिक सिद्धान्त के आधार पर लगाया जायेगा। कूड़े के समुचित निस्तारण के लिए प्रयोक्ता शुल्क लगाया जायेगा जोकि अनुसूची-4 में वर्णित दरों के अनुसार होगा जोकि प्रत्येक 02 वर्ष में पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

11—कम्पोस्ट खाद को बनाया जाना—

अपशिष्ट के सृजकों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे अपने जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेबल) से कम्पोस्ट खाद बनायें और उसे अपने बगीचों और अपने निजी परिसरों मे लगाये गये पेड़ों और आस पास के पेड़ों में डाले। इस कार्य से बची हुई कम्पोस्ट खाद को नगर निकाय निविर्दिष्ट निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगा।

12—नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण—

(1) जहां कहीं संभव हो नगर निकाय सार्वजनिक पार्को, क्रीडा स्थल, मनोरंजन स्थल, उद्यानों, अधिक मात्रा में खाली भूमि चाहे वह नगर निकाय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी विभाग के स्वामित्व मे हो या उसके द्वारा अनारक्षित हो पर लघु प्रसंस्करण इकाईयों (कम्पोस्ट खाद बनाना या जैव मीथेनीकरण) स्थापित करेगा।

ऐसी इकाईयों की स्थापना तथा अनुरक्षण गैर सरकारी संगठनों अभिकर्ताओं व्यवस्था अधिकारियों, ठेकेदारों, किरायेदारों द्वारा भी की जा सकती है। ये संस्थायें स्थानीय समुदाय के लिये नमूनों का प्रदर्शन करेगी और इस प्रकार से कार्य करेगी जिससे समाज या पर्यावरण को कोई असुविधा या हानि न हो।

(2) नगर निकाय नदियों, झीलों, तालाबों, पूजा स्थलों आदि के पास कतिपय निर्दिष्ट स्थलों से पूजा सामग्रियों (फूल, पत्ती, फल) को विशेष पात्रों या कलशों मे इकट्ठा करने हेतु या तो स्वयं दायित्व लेगा या इच्छुक संगठनो को प्राधिकृत करेगा। इन कलशों या पात्रों से इकट्ठा की गयी सामग्री को उपयुक्त स्थान पर गाड़ा जायेगा या कम्पोस्टिंग इकाइयों द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की जायेगी।

(3) अपशिष्ट के परिवहन लागत को कम करने और अपशिष्ट के स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के वृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सम्बन्धित अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने वाले अपशिष्ट के किसी उत्पादक के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह यथाविनिर्दिष्ट उपयुक्त नोटिस की अवधि के पश्चात् उद्गम स्थल पर या नोटिस में इस प्रयोजनार्थ अभिहित स्थलों पर जैवनाशित अपशिष्ट को प्रसंस्कृत करें।

(4) नगर निकाय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिये यथा-आवश्यक एक से अधिक भूमि भरण स्थलों का चिन्हीकरण विकास और अनुरक्षण करेगी और उसमें ऐसे निष्क्रिय ठोस अपशिष्टों को जो पुनर्चक्रण अथवा प्रसंस्करण के लिये समुचित न हो डाला जायेगा।

(5) पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों मे पुनर्चक्रण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(6) वह अपशिष्ट जो अनुपयोगी हो, पुनर्चक्रण के योग्य न हो, नॉन बायोडिग्रेबुल न हो, ज्वलनशील न हो तथा नॉन रीएक्टिव व इनर्ट हो तथा जो अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा से छांट कर निकाला गया हो को सैनिटरी लैण्डफिल साईट पर निस्तारित किया जायेगा।

(7) छटे हुए अपशिष्ट को यथा सम्भव रीसाइकिल व रीयुज करने हेतु प्रयास किया जायेगा ताकि जीरो-वेस्ट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(8) खुली हुई डम्प साइट्स की बायो-माइनिंग व बायो-रेमिडिएशन की व्यवस्था की जायेगी। उपयुक्त न होने पर अथवा अन्यथा की स्थिति में इनकी मानक के अनुसार कैपिंग की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जायेगी ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो।

(9) घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र की स्थापना, जिसको 10 किलो मीटर क्षेत्रफल के घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए बनाया जायेगा। इन केन्द्रों में घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट जमा करने का समय अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(10) घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट के सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

13—नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन—

अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक या निजी स्थल पर अपशिष्ट एकत्रीकरण का बिन्दु चिन्हित करायेगा। जहां नगर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गाडी को दिये जाने के लिये एकत्रित अपशिष्ट को लाया जायेगा। कूडा गाड़ी की सेवायें नगर निकाय द्वारा मार्ग (रूट) योजना के अनुसार एकत्रित कूड़े को इकट्ठा करने के लिये उपलब्ध करायी जायेगी। अपशिष्ट के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन मे रखा गया कूड़ा ढका रहेगा।

14—स्त्रोत पर ही एकत्रीकरण—

भवन स्वामियों या अध्यासियों द्वारा भवनों या भवन समूहों के परिसर के भीतर उपलब्ध कूड़ा स्त्रोत स्थान से एकत्रीकरण की व्यवस्था की जा सकेगी और नगर निकाय की गाड़ियों/कर्मचारियों द्वारा उस कूड़ा पात्रों तक ऐसे समय तक पहुंचाई जायेगी जैसा अधिसूचित किया जाय।

15—सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र—

अपवादिक मामलों मे जहां स्थान-स्थान पर एकत्रीकरण या स्त्रोत पर ही एकत्रीकरण सम्भव न हो, वहां नगर निकाय द्वारा सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र का सार्वजनिक सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जहां आवश्यक और संभव हो, रख रखाव किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय।

16—अपशिष्ट छटाई केन्द्र—

पुनर्चक्रीय और अपुनर्चक्रीय अपशिष्ट की छटाई कार्य को विनियमित करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए संबंधित अधिकारी उतने अपशिष्ट छटाई केन्द्रों की व्यवस्था करेगा जो आवश्यक और संभव हो। ये अपशिष्ट छटाई केन्द्र नगर निकाय की भूमि पर या सरकारी अथवा अन्य निकायों की भूमि पर हो सकते है, जो इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से शेड या गुमटी के रूप मे उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराये जायेगें। इनकी व्यवस्था कूड़ा बिनने वालों की रजिस्टर्ड सहकारी समितियों या अनुज्ञा प्राप्त रीसाइक्लर्स या नगर निकाय द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य अभिकरणों द्वारा भी की जायेगी।

जैव अपघटन योग्य अपशिष्ट के भण्डारण के लिए ''हरे रंग'' के डिब्बे पुर्नचक्रण योग्य अपशिष्ट के लिए ''नीले रंग''अन्य अपशिष्ट के लिए ''काले रंग'' के डिब्बे का उपयोग किया जायेगा। छटाई के बाद अवशेष अपुनर्चक्रीय कूड़े को प्रसंस्करण या भूमि भराव के लिए ऐसे छटाई केन्द्रों से कूड़ा निस्तारण स्थलों पर भेजा जायेगा। ऐसे अपशिष्ट छटाई केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के कूड़े को अधिसूचित दरों पर क्रय एवं विक्रय का कार्य अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

17—समय सारिणी तथा एकत्रीकरण का मार्ग—

नगरीय ठोस अपशिष्ट के दैनिक तथा साप्ताहिक एकत्रीकरण की समय सारिणी एवं मार्ग का निर्धारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अधिसूचित किया जायेगा। इनका विवरण सम्बन्धित कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगा।

18—स्थानीय नागरिक समूह—

स्वयं सहायता समूहों के गठन को सुगम बनाना उन्हें पहचान कर पत्र उपलब्ध कराना और तद्परान्त घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करते सहित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा। स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों अथवा स्थानीय नागरिक समूहों का विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभारी इकट्ठा करने हेतु अनुबन्ध के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र को साफ रख सके। सड़कों की सफाई, कूड़े के एकत्रीकरण, परिवहन, कम्पोस्टिंग आदि के लिये निर्धारित इकाई दरों पर नगर निकाय या स्वामियों या अध्यासियों से भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया, माडल उपविधियॉ तथा स्थानीय नागरिक समूहों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा गैर सरकारी संगठनों हेतु माडल अनुबन्ध का प्रारूप नगर पालिका की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर उपलब्ध करायी जायेगी।

19—सफाई अभियान—

उन क्षेत्रों मे जिनको विशेष सफाई अभियान के लिये आवश्यक समझ कर चिन्हित किया जाय और जहां स्थानीय पार्षद या सदस्य या नागरिक सहयोग के लिये आगे आते हों सफाई अभियान का आयोजन किया जायेगा। ऐसे विशेष अभियानों के लिये अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

20—जागरूकता व प्रचार-प्रसार, शिक्षा और प्रशिक्षण—

अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय नागरिक समूहों, नगर निकायकर्मी और उसके अभिकर्ता नगर के स्कूल, आवासीय समितियों, गन्दी बस्तियों, दुकानों, फेरी वालों, अपशिष्ट चुनने वालों/संग्रहकर्ता को कार्यालय संकुलों, औद्योगिक इकाईयों, वाणिज्यिक यूनियनों, सकल एरिया सिटिजन ग्रुप आदि से सफाई के सम्बन्ध में शैक्षिणिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा। उसके पश्चात् इन सबकी शिक्षा, जागरूकता, सहभागिता एवं प्रशिक्षण के लिये एक समन्वित योजना एवं रणनीति तैयार कर उसे कार्यान्वित की जायेगी। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा तथा जागरूकता प्रचार-प्रसार, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम में होने वाला व्यय नगर पालिका कोष से भुगतान किया जायेगा।

21—अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जनसहभागिता को प्रोत्साहन—

जन सहभागिता और सहयोग से किये गये सफाई कार्य और अपशिष्ट प्रबन्धन के सर्वोत्तम कार्यो के लिये नगर निकाय द्वारा प्रशंसा-पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा प्रचारित किया जायेगा तथा अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जनसहभागिता को प्रोत्साहन कार्यक्रम में होने वाला व्यय नगर पालिका कोष से भुगतान किया जायेगा।

22—शिकायतों का निस्तारण—

नगर निकाय इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वन हेतु कम्प्लेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम को संचालित करेगा या एक समुचित नया ऑनलाईन कम्प्लेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम तैयार करेगा। शिकायतों और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के आंकडे ऑनलाईन ग्रिवान्स मैनेजमेण्ट सिस्टम (ओ0जी0एम0एस0)/सिटिजन्स पोर्टल में प्रदर्शित की जायेगी।

23—नागरिकों की सफाई टीम—

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई कार्यो में विशेष रूचि एवं सहयोग प्रदान करने वाले नागरिकों को स्वच्छाग्रही नामित कर सकता है। सम्बन्धित नागरिक नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई टीम का भी गठन कर सकते हैं तथा सर्वेक्षण करके सफाई के अनुश्रवण हेतु नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं। इन रिपोर्टो को नगर निकाय कार्मिकों को अग्रसारित किया जायेगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जायेगा ताकि इसके माध्यम से उस क्षेत्र की सफाई और अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

24—रूचि की अभिव्यक्ति—

किसी क्षेत्र को साफ रखने या कूड़े के पृथक्करण, पुनरावर्तन या कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना, कम्पोस्टिंग, वर्मी काम्पोस्टिंग, बायो-मिथेनीकरण आदि की अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जायेगी। रूचि की अभिव्यक्ति के ऐसे सीमित आमंत्रण के विवरण सभी वार्ड कार्यालयों में तथा वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

25–आकस्मिक निरीक्षण–

अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नगर निकाय की म्युनिसिपल सीमाओं में सम्बन्धित अधिकारी अपने अपने वार्डो के विभिन्न भागों में किसी भी समय (दिन या रात) आकस्मिक जॉच करेगें। किसी उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले कूड़े-कचरे की सफाई नगर निकाय द्वारा की जायेगी और उसमे अन्तर्ग्रस्त व्यय उल्लंघनकर्ता से वसूला जा सकेगा।

26–नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में दायित्व–

(1) मलिन बस्तियों की सफाई के संबंध में दायित्व–(क) अधिशासी अधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जहां जहां भी योग्य समुदाय आधारित संगठन आगे आयें, वर्तमान में अनाच्छादित क्षेत्रों में उनके वार्डो के अन्तर्गत दत्तक बस्ती योजना (मलिन बस्ती अपनाने को अन्तर्गत) का विस्तार करेगें।

(ख) जहां आवश्यक हो नगर निकाय की गाड़ी पृथकीकृत ठोस अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए मलिन बस्ती के बाहर किसी स्थान पर नियत समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) अपवादिक मामलों में जब तक गाड़ी की सेवायें तत्समय सार्वजनिक मार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी चिन्हित बिन्दु पर अपेक्षित अन्तराल पर उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हो, नगर निकाय द्वारा मानव सेवित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान की व्यवस्था की जायेगी जहां कूड़ा उत्पन्न करने वालों के द्वारा पृथकीकृत अपशिष्ट जमा किया जायेगा और वहां से नगर निकाय ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करेगी।

(2) मुर्गी पालन, मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट उत्पादक के दायित्व–चिन्हित बूचड़खानों और बाजारों से भिन्न किसी भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी जो मुर्गी मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट को किसी व्यावसायिक गतिविधि के फलस्वरूप उत्पन्न करता है ढकी हुई स्वच्छ स्थिति में उसका पृथक भण्डारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये नगर निकाय के संग्रह वाहन को विनिर्दिष्ट समय पर दैनिक रूप से पहुँचायेगा। किसी सामुदायिक कूड़ादान में ऐसे अपशिष्ट का जमा करना निशिद्ध है और अर्थदण्ड की अनुसूची में इंगित अर्थदण्ड का भागी होगा।

(3) ठेले वालों/फेरी वालों के दायित्व–प्रत्येक ठेले वालों या फेरी वालों सामान बेचने की गतिविधि से उत्पन्न किसी अपशिष्ट के संग्रह के लिए अलग-अलग डिब्बे या कूड़ेदान रखेगा। सम्यक् रूप से पृथक किये गये अपशिष्ट को नगर कूड़ा गाडी या निकाय चिन्हित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान तक पहुंचाने का दायित्व कूड़ा उत्पन्न करने वाले का होगा।

(4) नाली की सफाई का दायित्व–घरेलू नाली वाले भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान और ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग करके पहुँचाया जाय। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा। जहां ऐसे भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी घर की नाली की सफाई के लिए नगर निकाय की सेवायें प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसे नगर निकाय से सम्बन्धित वार्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निकाय द्वारा यथानिर्धारित प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान प्राप्त कर घर की नाली की सफाई कराई जा सकेगी।

(5) पालतू पशु स्वामी का दायित्व–किसी पालतू पशु के स्वामी का यह दायित्व होगा कि गली या सार्वजनिक स्थान पर पालतू पशु द्वारा फैलाई गयी किसी गन्दगी को शीघ्रता से हटा दे अन्यथा ऐसे अपशिष्ट के समुचित निस्तारण के लिए अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(6) सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह आयोजनकर्ता का दायित्वः– सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह (जिसमें जुलूस प्रदर्शनी, सर्कस मेलों या राजनैतिक दलों की रैली, व्यावसायिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक समारोह विरोध प्रदर्शन धरना-प्रदर्शन इत्यादि शामिल है) के लिए जिसमें पुलिस और/या नगर निकाय की अनुमति अपेक्षित है समारोह या सम्मेलन के संयोजक का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करें। नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिदेय स्वच्छता प्रभार प्रयोक्ता आयोजक से समारोह की अवधि के लिए संबंधित कार्यालय में जमा कराया जायेगा। यह प्रभार केवल सार्वजनिक स्थल की सफाई के लिए होगा। इसमें सम्पत्ति की क्षति आच्छादित नहीं होगी।

(7) निपटान योग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकीनों और डाइपर के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों के कर्तव्य–

(1) निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन, कॉच, प्लास्टिक पैकेजिंग इत्यादि के सभी निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्राण्ड स्वामी अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेंगे।

(2) गैर नान बायोडिग्रेडबुल पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्राण्ड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेगें।

(3) स्वास्थ्य कर नैपकीनों तथा डाइपरों के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों में सभी पुर्नचक्रण योग्य सामग्रियों के प्रयोग की सम्भाव्यता का पता लगायेंगे या अपने स्वास्थ्य कर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकीन या डाइपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध करायेंगे।

(4) ऐसे सभी विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों को लपेटने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी दी जायेगी।

27–नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति–

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद निश्चित करती है कि इस उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना अथवा उल्लंघन के दुष्प्रेरित करना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे व्यक्ति संस्था अथवा अन्य के विरुद्ध नियमानुसार अभियोजन संस्थित किया जायेगा।

28–अपराधों का प्रशमन–

इस नियमावली के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा उक्त कार्यो के लिए अनुबन्धित संस्थाओं द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित है, वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है परन्तु शर्त यह होगी कि निकाय में बाहरी संस्थाओं द्वारा वसूल की गयी प्रशमन शुल्क की धनराशि का 75 प्रतिशत उसी दिन नगर निकाय कोष में जमा करना होगा व उसकी लिखित सूचना व सूची नगर निकाय के सफाई विभाग में प्रस्तुत करनी होगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि संस्थायें अपने पास रखेगी और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन–

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा।

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जायेगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृक्षा पर अपना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।

अनुसूची-1

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2020

प्रशमन शुल्क तालिका (ड्राफ्ट)

क्र0 सं0	उल्लंघन	प्रशन शुल्क	तीन वर्ष की अवधि में पुनः उल्लंघन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर निकाय द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्वों का निर्वहन करने की दशा में प्रशासकीय व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5
		रु0		रु0
1	**व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर किसी–**			
	1. अपशिष्ट फैलाने/फेकना।	200.00	प्रशमन शुल्क का पॉच गुना	500.00
	2. थूकना।	100.00	"	250.00
	3. मूत्र विर्सजन करना।	100.00	"	250.00
	4. जानवरों को अनिर्दिष्ट स्थान पर खिलाना।	500.00	"	1,500.00
	5. वाहनों की धुलाई।	500.00	"	1,500.00
	6. कपड़े धोना।	500.00	"	1,500.00
	7. सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब या कुंड मे गंदगी फैलाना।	500.00	"	1,500.00
2	मार्ग, पार्क, घाटों आदि सार्वजनिक स्थल, की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर।	500.00	"	1,000.00

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
3	घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डो अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी करने/कराने पर।	500.00	प्रशमन शुल्क का पांच गुना	1,000.00
4	पालतू पशुओं को खुला छोड़कर मार्गो/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर।	500.00	''	1,000.00
5	नाले नालियों, ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने परः–			
	(क) पशु पालक 5 जानवरों तक	1,000.00	''	5,000.00
	(ख) पशु पालक 5 जानवरों से अधिक व 25 जानवरों तक	5,000.00	''	10,000.00
	(ग) पशु पालक 25 जानवरों से अधिक	10,000.00	''	20,000.00
6	डस्टबिन/स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना।	500.00	''	शून्य
7	उपकरणों/कपड़ों अन्य किसी सामग्री की अनिर्दिष्ट स्थल पर धुलाई।	500.00	''	शून्य
8	किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा-करकट को बनाये रखना।	500.00	''	500.00
9	कानून का उल्लंघन करते हुए शव का अनियमित निस्तारण	1,000.00	''	. .
10	अपने परिसर को स्वच्छ रखने मे असफल रहनाः–			
	(क) डबलिंग यूनिट/भवन/फ्लैट	500.00	''	शून्य
	(ख) दुकान/बूथ	400.00	''	शून्य
	(ग) माल/मल्टीप्लैक्स/शॉपिंग और केड/होटल	5,000.00	''	शून्य
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000.00	''	शून्य
11	प्रतिबन्धित पालीथीन आइट्मस का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	25,000.00	''	शून्य
12	थर्मोकोल आइट्मस का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	25,000.00	''	शून्य
13	बिना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सौंपनाः–			
	(क) व्यक्तिगत भवन	200.00	''	. .
	(ख) दुकान/बूथ	500.00	''	. .
	(ग) माल/मल्टीप्लेक्स/शॉपिंग मॉल और केड/होटल	5,000.00	''	. .
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000.00	''	. .
	(ङ) औद्योगिक भूखण्ड/यूनिट	5,000.00	''	. .
	(च) इवेन्ट आरगेनाइजर्स	5,000.00	''	. .
14	वृहद अपशिष्ट (100 किलो ग्राम प्रतिदिन से अधिक) उत्सर्जकों द्वारा अपशिष्ट के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना।	5,000.00 प्रतिमाह	10,000.00 प्रतिमाह	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
15	विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर।	2,000.00	4,000.00	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
16	बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर।	5,000.00	10,000.00	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
17	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000.00	2,000.00	—
18	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	10,000.00	2,000.00	—
19	निर्माण और ढहाने के अपशिष्ट का यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने/अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर।	500.00 प्रति टन	प्रशमन शुल्क का पांच गुना उपरोक्तानुसार	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
20	शुष्क अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500.00	500.00	—
21	उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छटाई के कूड़े की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000.00	2,000.00	1000.00
22	अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर।	1,000.00	2,000.00	—
23	खुले में शौच करने पर।	500.00	1,000.00	—
24	पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सड़कों/पार्क में फेकना	500.00	1,000.00	1,000.00
25	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथानिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500.00	1,000.00	1,000.00
26	बिना डिब्बा/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों /फेरी वाले/दुकानदारों के लिए।	100.00	200.00	—
27	पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाये जाने के लिए।	500.00	1,000.00	1,000.00
28	व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनिधिकृत रूप से पानी बहाने पर।	1,000.00	2,000.00	—
29	मैरिज होम/बैंकट हॉल/सार्वजनिक सम्मेलन/समारोह के पश्चात् 24 घण्टे के भीतर सफाई न करने के लिए।	5,000.00	10,000.00	सफाई करने पर आने वाले वास्तविक व्यय की वसूली एवं स्वच्छता डिपाजिट जब्त कर लेना।

नोट–

(1) उपरोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज के दो वर्षो के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा, इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरे स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगी।

(2) अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन/थरमाकोल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार-बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति अधिशासी अधिकारी को की जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।

(3) यदि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए पाता है तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगें।

अनुसूची-2
जैवनाशित और पुनचक्रीय अपशिष्ट की सूची

जैवनाशित अपशिष्ट
(उदाहरणार्थ स्वरूप)

जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। रसोई घर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल है। मांस और हड्डियॉ
उद्यान व पत्तियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी है
पशुओं का कूड़ा करकट
गोबर
सफाई के बाद घर की गंदगी
नारियल के छिलके
राख
अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट

पुनर्चक्रीय अपशिष्ट
(उदाहरणार्थ स्वरूप)

पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुल्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है और नहीं भी हो सकता है।
समाचार-पत्र
कागज, पुस्तकें, पत्रिकायें
शीशा
धातु के पदार्थ और तार
प्लास्टिक
फटे कपड़े
चमड़ा
रेक्सीन
रबर
लकड़ी/फर्नीचर
पैकिंग के सामान एवं अन्य इसी प्रकार के।
अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट

अनुसूची-3
जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनसे सम्बन्धी शोध कार्यो के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

1–धारदार अपशिष्ट–

सुईयॉ, सिरींज, छुरिया, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार दोनों है।

2–बेकार दवाईयॉ और साइटोटाक्सिक औषधियां–

अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाईयों के अपशिष्ट

3–ठोस अपशिष्ट–

रक्त और शरीर द्रव से दूषित सामग्री जिनमें रूई,पट्टी,प्लास्टर पट्टी, कपडे की पट्टी ,बिस्तर,चादर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री ।

अनुसूची-4
आवासीय/अनावासीय भवनो के परिसर का कूडा उठाने के लिए प्रस्तावित प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्ज

आवासीय	विवरण	दर प्रतिमाह
1	2	3
		रु0
श्रेणी क	गृहकर से छूट वाले परिवार	30.00 प्रतिमाह
श्रेणी ख	200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक आवासीय ईकाई	80.00 प्रतिमाह
श्रेणी ग	200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक आवासीय ईकाई	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी घ	हाउसिंग सोसाईटी,अपार्टमेन्ट प्रति फ्लैट	40.00 प्रतिमाह
श्रेणी ड़	यात्री धर्मशालायें/धर्मशाला	30.00 प्रतिमाह
अनावासीय/ व्यवसायिक		
श्रेणी क	100 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	50.00 प्रतिमाह
श्रेणी ख	100 वर्ग फीट से 200 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ग	200 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक की दुकान	150.00 प्रतिमाह
श्रेणी घ	पब्लिक स्कूल तथा कोंचिग सेन्टर 100 छात्र एंव छात्रायें तक	150.00 प्रतिमाह
	पब्लिक स्कूल तथा कोंचिग सेन्टर 101 से 500 छात्र एवं छात्रायें तक	300.00 प्रतिमाह
	पब्लिक स्कूल तथा कोंचिग सेन्टर 501 से ज्यादा छात्र एवं छात्रायें	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी ड.	इन्जीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, मैनेजमेन्ट कालेज एवं प्राईवेट स्नातक/स्नातकोत्तर कालेज,सेन्टर शॉपिंग कम ऑफिस कॉमलैक्स, प्राईवेट शिक्षण संस्थाऐं, प्राईवेट हार्स्टल	500.00 प्रतिमाह

1	2	3
		रु0
श्रेणी च	बैंक कार्यालय, एल0आई0सी0 कार्यालय आदि एंव गेस्ट हाउस तथा होटल 10 कमरों तक,रेस्टोरेन्ट	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी छ	मैरिज होम, माल्स, बैंक्टहॉल, क्लब, सिनेमा हॉल, होटल 10 कमरों से अधिक	1,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी ज	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र /सरकारी अस्पताल	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी झ	प्राईवेट हॉस्पिटल,नर्सिंग होम,क्लीनिक आदि (20 बैड तक)	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी ञ	प्राईवेट हॉस्पिटल,नर्सिंग होम (20 बैड से अधिक)	1,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी ट	पैथोलॉजी लैब	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी ठ	क्लीनिक	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ड	अन्य सरकारी कार्यालय/सरकारी स्कूल	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ढ	दवाईयों की दुकान	150.00 प्रतिमाह
श्रेणी ण	रिटेल चैन्स(जैसे बिग बाजार,विशाल,मैट्रो बाजार आदि)	1,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी त	रोड साईड वेन्डर (वेन्डर जोन सहित)	10.00 प्रतिदिन
श्रेणी थ	रोड साईड फास्ट फूड कार्नर,चाय/जूस की दुकान व चाट हाऊस आदि	10.00 प्रतिदिन
श्रेणी द	गोदाम एंव वेयर हाऊस 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक	250.00 प्रतिमाह
श्रेणी ध	गोदाम एंव वेयर हाऊस 1001 वर्ग फीट क्षेत्रफल से 5000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी न	शराब की दुकाने	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी प	हॉट, मार्केट, साप्ताहिक बाजार	25.00 प्रतिदिन प्रति स्टॉल
श्रेणी फ	शोरूम, सर्विस सेन्टर व छोटे गैराज	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी ब	प्रदर्शनी ग्राऊण्ड, मेला	500.00 प्रतिदिन
श्रेणी भ	छोटे और कुटीर उद्योग कार्यशालायें (केवल गैर खतरनाक/प्रदूषण) प्रतिदिन 10 किलोग्राम तक अपशिष्ट	150.00 प्रतिमाह
श्रेणी म	प्रिटिंग प्रेस	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी य	पेट्रोल पम्प	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी र	ऐसे भवन जिनमें पालतू पशु (यथा-गाय, भैस,भेड, बकरी, सूअर आदि) पाल रखे हो, जिनका व्यवसायिक उपयोग न किया जाता हो ।	20.00 प्रतिमाह निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देय होगा
श्रेणी ल	अन्य जो उपरोक्त में छूट गया हो	जो नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर के द्वारा निर्धारित किया जाये।

नोट–

(1) प्रयोक्ता शुल्क भुगतान न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उनके प्राधिकृत अधिकारी को इन उपविधियों में वर्णित की गयी दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउन्डिग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा ।

(2) यदि कोई उपभोक्ता एक वर्ष का प्रयोक्ता शुल्क अग्रिम (एडवांस) जमा करता है तो वह 01 माह के प्रयोक्ता शुल्क की छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।

(3) विधवा/बेसहारा महिला एकल रूप से (50 वर्ग गज मकान में स्वंय निवास करती हो) प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा ।जिसका प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष नगरपालिका परिषद,मुजफ्फरनगर से प्राप्त करना होगा। यदि भवन अथवा भवन का आंशिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पात्र नही होगा।

(4) वह वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हो तथा 100 वर्ग गज तक के मकान में निवास करते हो,एंव शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो एंव उनके साथ वृद्व पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारजन अथवा अन्य सहायक आवासित न हो उनको प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा। परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगरपालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा ।

(5) जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपरोक्त अनुसूची-4 में वर्णित शुल्क प्रत्येक 2 वर्ष में पालिका द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी। पुनरीक्षण का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर में निहित होगा। उपरोक्त उपविधि में पुनरीक्षण के पश्चात् शुल्क में की गयी वृद्वि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से कम नही होगी ।

इस प्रकार नगरपालिका परिक्षेत्र में ''नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2020'' के तहत नियमों को प्रचलित किया जायेगा।

हेमराज,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
मुजफ्फरनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम RAM AWTAR RAM अंकित हो गया है। जो कि गलत है। मेरा सही नाम RAM AVTAR RAM है। भविष्य में मुझे RAM AVTAR RAM के नाम से जाना एवं पहचाना जाये। राम अवतार राम पुत्र श्री टिहुली राम, ग्राम भुड़की, थाना देवगांव, जिला आजमगढ़।

राम अवतार राम।

सूचना

मैं सूरज कुमार हरिजन पुत्र प्रेम सागर, निवासी रामपुर खुर्द, तहसील मछली शहर, जौनपुर अब मेरा परिवर्तित नाम सूरज कुमार बौद्ध है।

(I Suraj Kumar Harijan S/o Prem Sagar, Address Rampur Khurd, Tehsil Machhali Shahar, Jaunpur, have changed my name to Suraj Kumar Bauddh).

सूरज कुमार बौद्ध।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म एम्बेस्टन पैकेजिंगस, पता सी 89बी0एस0आर0 रोड, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के परिवर्तन के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि हमारी फर्म की पार्टनरशिप 13 नवम्बर, 2018 को हुई थी जिसमें तीन पार्टनर थे। साझीदार नं0 1–श्री प्रान्शुल मित्तल पुत्र श्री प्रदीप कुमार मित्तल, साझीदार नं0 2–श्री रोहित सिसोदिया पुत्र श्री अशोक सिसोदिया, साझीदार नं0 3–श्री अर्पित गर्ग पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग थे। यह कि फर्म की संशोधित साझीदारीनामा डीड दिनांक 08 जून, 2021 के अनुसार फर्म में दिनांक 27 अप्रैल, 2021 में साझीदार नं0 3–श्री अर्पित गर्ग पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग जी का निधन हो गया है व साझीदारों की आपसी सहमती से फर्म साझीदारी में नये साझीदार श्री हर्षित गर्ग पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग सम्मिलित किये गये हैं। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 08 जून, 2021 के अनुसार अब इस फर्म में साझीदार 1–श्री प्रान्शुल मित्तल पुत्र श्री प्रदीप कुमार मित्तल 2–श्री रोहित सिसोदिया पुत्र श्री अशोक सिसोदिया 3–श्री हर्षित गर्ग पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग हो गये हैं।

प्रान्शुल मित्तल,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स फ्रैश फूड किचन सर्विसेज, के-6, आशियाना, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ-226012, रजि0 नं0-201915 का पंजीकरण दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 को कराया गया था जिसमें जितेन्द्र सिंह भदौरिया प्रथम एवं सुरेश यादव द्वितीय साझीदार थे, जिसमें द्वितीय साझेदार फर्म से हट गये हैं। जिनके स्थान पर आदित्य भदौरिया पुत्र जितेन्द्र सिंह भदौरिया, निवासी म0नं0 के 890 आशियाना कालोनी, कानपुर रोड अपोजिट चिरंजीव भारतीय पार्क, सेक्टर-के, लखनऊ को दिनांक 04 सितम्बर, 2021 से शामिल कर लिया गया है। उक्त तिथि से पूर्व के द्वितीय साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में जितेन्द्र सिंह भदौरिया प्रथम एवं आदित्य भदौरिया द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

जितेन्द्र सिंह भदौरिया,
साझेदार,
मेसर्स "फ्रैश फूड किचन सर्विसेज",
के-6, आशियाना, एल0डी0ए0 कालोनी,
कानपुर रोड, लखनऊ-226012।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स "श्रीराम सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेज", 559च/333, प्रेम नगर, आलमबाग, लखनऊ, रजि0 नं0-196329 का पंजीकरण दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 को कराया गया था तथा संशोधन 16 जुलाई, 2021 को कराया गया था जिसमें श्रीमती जमुना देवी प्रथम, श्रीराम वर्मा द्वितीय साझेदार एवं विवेक राजपूत तृतीय साझेदार थे। जिसके द्वितीय साझीदार श्रीराम वर्मा आयु 55 वर्ष पुत्र श्री सुखलाल वर्मा, निवासी 551क/348ए आजाद नगर, आलमबाग, लखनऊ का निधन दिनांक 28 अप्रैल, 2021 को हो गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में श्रीमती जमुना देवी प्रथम एवं श्री विवेक राजपूत द्वितीय साझीदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

जमुना देवी,
साझेदार,
मेसर्स-श्रीराम सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स लखनऊ डॉयबटीज हेल्थ केयर सर्वोदय नगर, लखनऊ, उ0प्र0, रजि0 नं0 203690 का पंजीकरण दिनांक 07 नवम्बर, 2017 को कराया गया था जिसमें डा0 अफरीन उस्मान प्रथम, डा0 अफरोज खान द्वितीय एवं डा0 आसिफ अली तृतीय साझीदार थे, जिसमें प्रथम साझेदार फर्म से हट गये हैं। जिनके स्थान पर डा0 मोहम्मद असलम खान पुत्र हबीब अहमद खान, निवासी सी-725 एल रोड, सेक्टर सी, महानगर, लखनऊ, उ0प्र0 222006 को दिनांक 02 सितम्बर, 2021 से शामिल कर लिया गया है। उक्त तिथि से पूर्व के प्रथम साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में डा0 अफरोज खान प्रथम, डा0 आसिफ अली द्वितीय एवं डा0 मोहम्मद असलम खान तृतीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

डा0 अफरोज खान,
साझेदार,
मेसर्स लखनऊ डॉयबटीज हेल्थ केयर,
सर्वोदय नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

पी0एस0यू0पी0—29 हिन्दी गजट—भाग 8—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।